www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 05 | गोरखपुर, 27 जुलाई 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

योगी सरकार की नई हरित क्रांति, 2025 में भी यूपी में बनेंगे विशिष्ट वन

आज होगा गोपाल वन की स्थापना का आयोजन

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक दिन (9 जुलाई) में 37.21 करोड़ से अधिक पौधे रोपने वाला यूपी विशिष्ट वनों की भी स्थापना कर रहा है। इसके लिए अलग-अलग प्रभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 27 जुलाई को गोपाल की नगरी मथुरा में 'गोपाल वन' की स्थापना का मुख्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय आयोजन को उत्सव के रूप में मनाने का निर्देश देने के साथ ही इसमें जनप्रतिनिधियों, गोपालकों, संतों व स्कूली बच्चों की भी सहभागिता पर जोर दिया है। मथुरा में मुख्य आयोजन के पश्चात पूरे प्रदेश में गोपाल वन स्थापित किया जाएगा। गोपाल वन का मुख्य आयोजन मथुरा के राल में छठीकरा गोवर्धन रोड स्थित ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा गोशाला में होगा। यहां चारा प्रजाति का पौधरोपण होगा। इसके उपरांत 'गोशाला में वन के संवर्धन' को लेकर संगोष्ठी भी होगी। इसमें स्कूली बच्चों की भी सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोपाल वन की स्थापना में संत समाज व गोपालकों को जोड़ने का निर्देश दिया है। हर वर्ष की भांति योगी सरकार इस वर्ष भी विशिष्ट वाटिका स्थापित कर रही है। अभी तक एकलव्य वन, त्रिवेणी वन, ऑक्सी वन, शक्ति वन, सहजन भंडारा कार्यक्रम, त्रिवेणी वन आदि स्थापित किया जा चुका है। वहीं 2025 के वर्षा काल में अटल वन, गोपाल वन, पवित्र धारा पौधरोपण, भाई-बहन पौधरोपण, शौर्य वन, एक पेड़ गुरु के नाम पौधरोपण के साथ ही औद्योगिक इकाइयों की भागीदारी से पौधरोपण व उनके संरक्षण पर भी विभाग का जोर है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 6613 अस्थायी गोआश्रय स्थल, 387 वृहद गोसंरक्षण केंद्र, 305 कांजी हाउस तथा शहरी क्षेत्र में 303 कान्हा गोआश्रय स्थल सहित कुल 7608 गोआश्रय स्थल संचालित हैं। इन सभी स्थलों में गोपाल वन की स्थापना भी की जाएगी। पूरे वर्षाकाल में यहां भी पौधरोपण किया जाएगा। साथ ही इसके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान रहेगा। सरकार ने इसके अतिरिक्त निजी गोपालकों से भी अनुरोध किया है कि वे भी पौधे लगाएं। भगवान श्रीकृष्ण को गोपाल कहा जाता है। वे गायों की देखभाल व पालन करते थे। गाय निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ देती है। मथुरा को गोपाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए गोपाल वन के राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन की जिम्मेदारी मथुरा वन प्रभाग को सौंपी गई है। योगी सरकार ने निर्णय लिया कि गोशाला परिसर में निवास कर रहे पशुओं को छाया व चारा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत प्रत्येक गोशाला परिसर में गोपाल वन की स्थापना की जाए। महाभियान के तहत यह आदेश जारी किया गया है कि प्रत्येक गोशाला में गोपाल वन की स्थापना की जाए, जिसमें स्थल की उपलब्धता के अनुरूप छायादार व चारा प्रजातियों का रोपण किया जाए। प्रदेश सरकार के निर्देश पर विशिष्ट वनों की स्थापना हो रही है। विशिष्ट वनों की स्थापना के लिए अलग-अलग प्रभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कान्हा की नगरी में गोपाल वन को लगाने, उसे समृद्ध करने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी मथुरा वन प्रभाग की है। इसे देखते हुए 27 जुलाई को मथुरा में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन कर देवरहा बाबा आश्रम में गोपाल वन स्थापित किया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्कूली बच्चों, समाज के अनेक वर्गों का भी सहयोग रहेगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

बंगाल का अपराजिता विधेयक अटका, राज्यपाल ने मृत्युदंड को बताया 'असंगत'

कोलकाता। राजभवन के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तावित बदलावों पर केंद्र द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों पर विचार के लिए अपराजिता विधेयक को राज्य सरकार के पास वापस भेज दिया है। सूत्र ने बताया कि केंद्र ने अपनी टिप्पणी में पाया कि सितंबर 2024 में विधानसभा में पारित अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत बलात्कार के लिए सजा में बदलाव की मांग करता है जो अत्यधिक कठोर और असंगत हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि उसे विधेयक के कुछ प्रावधानों पर अपनी टिप्पणियों के संबंध में केंद्र सरकार या राज्यपाल कार्यालय से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। विधेयक में बलात्कार के लिए सजा को बीएनएस के तहत मौजूदा न्यूनतम 10 वर्ष से बढ़ाकर शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु तक करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विधेयक के कई प्रावधानों को समस्याग्रस्त बताया है। गृह मंत्रालय की टिप्पणी पर गौर करने के बाद, राज्यपाल ने उन्हें उचित विचार के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया है।

उन्होंने गृह मंत्रालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र ने बलात्कार के लिए सजा को न्यूनतम 10 वर्ष से बढ़ाकर दोषी के शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड करने के लिए बीएनएस की धारा 64 में संशोधन के प्रस्ताव को अत्यधिक कठोर और असंगत बताया है।

हाल ही में प्रकाशित आठवीं इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे देश में, जहाँ धर्म और धार्मिक पहचान जनता और सरकार दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, 50 प्रतिशत से ज्यादा स्नातकों का रोजगार के योग्य न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बताया था कि पिछले 10 साल में यूनेस्को में 89 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। इनमें से अधिकांश 25 हजार स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश से थे।

पांच हजार सरकारी स्कूल बंद करके, विश्व गुरु बनेगा भारत?

उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि सरकार के इस कदम से राज्य में तीन लाख पचास हजार से ज्यादा छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली एक कुशल कार्यबल, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। चूँकि इस देश में प्राथमिक शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला यह देश अभी भी निरक्षरता और खराब शिक्षा से जूझ रहा है। हाल ही में प्रकाशित आठवीं इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे देश में, जहाँ धर्म और धार्मिक पहचान जनता और सरकार दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, 50 प्रतिशत से ज्यादा स्नातकों का रोजगार के योग्य न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बताया था कि पिछले 10 साल में यूनेस्को में 89 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। इनमें से अधिकांश 25 हजार स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश से थे। 5 हजार स्कूल और बंद हमारे दिल पर मोर लोड ना आए इसलिए योगी सरकार ने स्कूल बंद करने की इस स्कॉच को नाम दिया है पेअरिंग स्कॉच। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख 62 हजार प्राथमिक विद्यालय थे। जो साल 2021-22 में 1 लाख 40 हजार ही रह गए। यानी 2015-16 के मुकाबले में ये संख्या कम हो गई। सरकार का तर्क है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन्हें बंद कर देना ही बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये स्कॉटिश बच्चे क्यों नहीं हैं? क्या बच्चों की संख्या आपके-आप कम हो गई, या इसके पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं? ईटीवी-भारत न्यूज वेबसाइट के अनुसार यू-डी-आईएसई पोर्टल के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं, वो देखने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 30,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जो जर्जर स्थिति में हैं। जहां 742 स्कूल पूरी तरह से खराब खंडहर हैं। इसके बाद 690-690 में जंगल और जंगल में 674, गरीब में 643, 641 में गरीब में और 633 में बलिया में कब्जा की स्थिति बेहद खस्ता है। इन स्कूलों में बच्चों के लिए न तो अधूरा निर्माण है, न शौचालय, न पीने का पानी और न ही चारदीवारी। कभी मिड-डे मील का सामान नहीं आता, तो कभी छत टपकती है। स्थानीय बिजली नहीं। कभी-कभी स्कूल में ही जूते डूब जाते हैं। तो ऐसे रसोई में किसी ने भी अपने बच्चों को क्यों भेजेगा? जब स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? जिन शिक्षकों में शिक्षक तैनात हैं, वहां उनकी ड्यूटी चुनाव, सर्वेक्षण, योजना या धार्मिक आयोजनों में लगाई जाती है। स्कूल सिर्फ रिकॉर्ड में है। क्लासरूम बंद होता है, परिसर सूना रहता है। फिर जब बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, तो परिवार वाले अपने बच्चों को या तो प्राइवेट स्कूलों में दाल देते हैं या फिर पढ़ाई ही छुड़वा देते हैं। यानी धीरे-धीरे सरकारी स्कूल के बच्चे आना ही बंद कर देते हैं। फिर एक दिन शासन की रिपोर्ट आती है ₹छात्र संख्या कम है, स्कूल बंद कर दिया जाएगा। बाकी जो स्कूल चल रहे हैं उनमें भी बार-बार सुरक्षा के नाम पर छुट्टियाँ घोषित कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अब बस एक धार्मिक परंपरा नहीं रही, ये एक सरकारी आयोजन संस्था बन चुकी है। हर साल जैसे ही सावन आता है, प्रदेश का पूरा सरकारी तंत्र एक ही दिशा में दौड़ता है- तीर्थयात्रियों की सेवा। स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक, स्वास्थ्य विभाग से लेकर नगर निगम तक, हर विभाग को आदेश दिया जाता है कि ₹कांवड़ियों की सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।₹ जगह-जगह कैंप, मेडिकल कैंप, मोबाइल स्टेडियम, मिस्ट फैन, नमक-पानी तक डाला जाता है। और ये सब फंडिंग आती है सरकारी खजाने से।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 के बाद की शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए वैश्विक शिक्षा से संबंधित एक विशेष बैठक आयोजित करने के बाद जारी एक बयान के अनुसार, कोविड महामारी ने पिछले 20 वर्षों में पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को मिटा दिया है। दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त बच्चे पढ़ने-लिखने के न्यूनतम स्तर से वंचित हो गए हैं। रिपोर्ट इस तथ्य को भी सामने लाती है कि इस वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में, यह समझना मुश्किल नहीं है कि कोविड के समय में भारत में कितने कम छात्र इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर पाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश के ग्रामीण इलाकों में केवल 18 प्रतिशत के पास इंटरनेट की सुविधा थी, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में इसका उपयोग कर पाए, यह भी संदिग्ध है क्योंकि डेटा पैक खरीदने के लिए पैसे, मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली आदि जैसे कई सवाल इससे जुड़े हैं। रिपोर्ट बताती है कि 42 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन शहरी गरीब बस्तियों में रहने वाले कितने छात्र इसका लाभ उठा पाए, यह भी एक सवाल है। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 62 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षक पूरी तरह योग्य नहीं हैं। ऐसे में, अगर शिक्षक अपनी पूरी क्षमता से काम करने की कोशिश भी करें, तो वे इसमें कितने सफल होंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रिपोर्ट में अंत में दस सुझाव भी दिए गए हैं जिनके जरिए देश में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। इनमें सबसे अहम है पूर्वोत्तर और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। कुल मिलाकर, स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था करना, सरकारी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलना ताकि गरीब और ग्रामीण बच्चे फीस आदि के कारण शिक्षा से वंचित न रहें और शिक्षक-छात्र अनुपात को कम करना यानी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों की संख्या बढ़ाना, सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने की दिशा में कुछ अहम कदम हो सकते हैं। हालाँकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश की सरकार यह सब करने के लिए तैयार है। दरअसल, सभी संकेत यही बताते हैं कि सत्ताधारियों के बीच सभी स्तरों पर सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करने की एक सोची-समझी योजना चल रही है। हमें एक संगठन के रूप में इसे रोकने के लिए कमर कसनी होगी।

▶ सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा- कुछ तो गड़बड़ है?

देश में किसान से ज्यादा स्टूडेंट कर रहे आत्महत्या

तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
तुझे दीप कहूँ या तारा,
मेरा नाम करेगा रोशन
जग में मेरा राज दुलारा

70 के दशक में आई फिल्म एक फूल दो माली के गीत को सुनने पर वो इंस्पिरेशन दिखती है जो माता-पिता अपने बच्चों में देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि बेटा बड़ा होगा या बेटी बड़ी होगी तो कुछ अच्छा, नया, इनोवेटिव करेगी। कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन हो क्या रहा है? देश की सर्वोच्च अदालत ने बकायदा संज्ञान लेकर कहा है कि कैंपस में कुछ तो ऐसा गलत चल रहा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया है। क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा तमाम मसलों पर बात करेंगे। एक तो आपने आईआईटी खड़गपुर की बात सुनी होगी जहां पर चतुर्थ वर्ग के अंडरग्रैजुएट लड़के ने सुसाइड कर लिया। दूसरा मामला ग्रेटर नोएडा की शादरा यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। वहां पर बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की स्टूडेंट ज्योति शर्मा ने हास्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया। उसने दो फैकल्टी मेंबर का नाम आगे किया कि इनकी वजह से सुसाइड किया। आपको कुछ महीने पहले की एक घटना याद होगी जब नेपाल की एक लड़की ने एक लड़के की वजह से आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या जैसे विषयों की बात करें तो बहुत बार ये चर्चा में आता है। आखिर बच्चे अपने प्राण क्यों ले लेते हैं? कई बार ऐसी चीज हम नई जनरेशन पर थोप देते हैं कि नई जनरेशन ही ऐसी है कि जल्दी हार मान जाती है। वो परिवार जो बहुत आशाओं से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है। पैसा बचाकर, जुटाकर खुद सस्ते कन्वेंस के द्वारा ट्रैवल करता है। लेकिन कोशिश करता है कि बच्चा हमारा अच्छे से पढ़े। लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जिन वजहों से बच्चे सुसाइड करने पर आ जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है जिसपर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

किसानों से ज्यादा छात्र कर रहे आत्महत्या

दिहाड़ी मजदूर	25.6%
स्वरोजगार	12.3%
नौकरीपेशा	9.7%
बेरोजगार	8.4%
स्टूडेंट	8%
किसान	6%

*ये 2021 का डेटा है। (सोर्स- IC-3 रिपोर्ट 2024)

वहीं एक विशाखापट्टनम में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स की आत्महत्या और उनमें बढ़ती मेंटल हेल्थ की समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए देश में कोई माकूल कानून नहीं है। इसे देखते हुए कोर्ट ने 15 गाइडलाइंस जारी कीं, जो तब तक पूरे देश में लागू और बाध्यकारी होंगी, जब तक कानून नहीं बन जाता है। ये गाइडलाइंस सभी सरकारी, सार्वजनिक, प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों पर लागू होंगी, चाहे वे किसी भी चाहे वे किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्ध हों। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में सुनवाई करते हुए ये गाइडलाइंस जारी कीं। साथ ही, छात्रा की मौत की सीबीआई से जांच कराने का भी आदेश दिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में बढ़ते आंकड़े परेशान करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में देशभर में कुल 1 लाख 70 हजार 924 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 13,044 छात्र थे। साल 2001 में स्टूडेंट्स की मौत के आंकड़े 5,425 थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, 100 आत्महत्याओं में करीब 8 छात्र शामिल थे। इनमें से 2,248 छात्रों ने सिर्फ इसलिए जान दे दी, क्योंकि वे परीक्षा में फेल हो गए थे।

कोर्ट 15 अहम दिशा-निर्देश जारी किए

- सभी शिक्षण संस्थानों को 'उम्मीद', 'मनोदर्पण' और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति पर आधारित मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनानी होगी। हर साल अपडेट कर वेबसाइट व सूचना बोर्ड पर लगाना होगा।
- जहां 100 से अधिक छात्र हों, वहां प्रशिक्षित काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या सोशल वर्कर नियुक्त हों; छोटे संस्थान बाहरी विशेषज्ञों से जुड़ें।
- परीक्षा या कोर्स बदलाव के समय हर छात्र समूह को एक मेंटर या काउंसलर दिया जाए।
- कोचिंग संस्थान प्रदर्शन के आधार पर बैच न बनाएं और न ही छात्रों को शर्मिंदा करें।
- शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों और हेल्पलाइन से संपर्क की व्यवस्था हो; हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित हों।
- संस्थान सभी शिक्षकों व स्टाफ को साल में दो बार मेंटल हेल्थ और आत्महत्या संकेतों की ट्रेनिंग दें।
- कमजोर वर्गों जैसे-एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एलजीबीटीक्यू, विकलांग, अनाथ या मानसिक संकट से जूझ रहे छात्रों से भेदभाव न हो।
- यौन उत्पीड़न, रैगिंग और भेदभाव के मामलों में कार्रवाई के लिए समिति बने, पीड़ित को सहायता और सुरक्षा मिले।
- अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम हों ताकि वे तनाव पहचानें और दबाव न डालें।
- संस्थान हर साल रिपोर्ट बनाएं, जिसमें काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य का विवरण हो। इसे यूजीसी जैसी नियामक संस्था को भेजा जाए।
- पाठ्यक्रम के साथ खेल, कला और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान हो, परीक्षा प्रणाली छात्रहित में हो।
- छात्रों और अभिभावकों के लिए नियमित करियर काउंसलिंग हो। विविध विकल्पों की जानकारी दें। छात्रों को रुचि के अनुसार निर्णय में मदद करें।
- हॉस्टल संचालक सुनिश्चित करें कि परिसर नशे, हिंसा या उत्पीड़न से मुक्त हो और छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिले।
- हॉस्टलों में छत, बालकनी, पंखे जैसी सेफ्टी डिवाइस लगें ताकि आत्महत्या रोग
- कोटा, जयपुर, चेन्नई, दिल्ली जैसे केंद्रों में नियमित काउंसलिंग और शिक्षण निगरानी के विशेष प्रयास हों।

गोवा फोटोग्राफी वर्कशॉप में मध्यप्रदेश के युवा फोटोग्राफर संजय कुमार प्रजापत को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला सम्मान

भोपाल । मध्यप्रदेश के युवा फोटोग्राफर संजय कुमार प्रजापत ने अपनी फोटोग्राफी प्रतिभा से राष्ट्रीय मंच पर शानदार छाप छोड़ी है। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय फोटोग्राफी वर्कशॉप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रसिद्ध फोटोग्राफर धर्मेन्द्र शर्मा और सृष्टिईजी और क्रिएटिव टीम द्वारा सम्मानित किया गया। यह वर्कशॉप 18 से 21 जुलाई तक गोवा में आयोजित हुई, जिसमें देशभर से 105 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संजय कुमार का चयन मध्यप्रदेश से हुआ था। कार्यक्रम में भारत के अग्रणी फोटोग्राफी मेंटर्स – साजन मदान, नीरज विश्वकर्मा और रमेश छाबड़िया द्वारा ड्रोन फोटोग्राफी, सिनेमैटोग्राफी और एआई एडिटिंग जैसे आधुनिक विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान संजय ने अपनी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल से सबको प्रभावित किया। उनके बेहतरीन योगदान पर उन्हें शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। संजय कुमार इससे पहले थाईलैंड, नेपाल, नैनीताल, मनाली और रायपुर जैसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और कई बार सम्मानित हो चुके हैं। अपने अनुभव साझा करते हुए संजय ने बताया, ₹गोवा में आयोजित इस वर्कशॉप ने न सिर्फ मुझे फोटोग्राफी के नए आयाम सिखाए, बल्कि देशभर के फोटोग्राफरों के साथ संवाद का अनमोल अवसर भी प्रदान किया। यह अनुभव मेरे करियर के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा। संजय की इस उपलब्धि पर उनके परिवार, मित्रों और फोटोग्राफी जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें शुभकामनाएँ दी हैं।

हरियाली तीज: परंपरा की जड़ें और आधुनिकता की डालियाँ

हरियाली तीज का नाम लेते ही आँखों के सामने एक चित्र उभरता है– हरा चूनर ओढ़े खेत, बारिश की बूंदों से भीगी धरती, झूलती बालाएं, मेंहदी रचे हाथ और लोकगीतों की सुमधुर गूंज। पर यह चित्र अब केवल स्मृति में रह गया है, क्योंकि आधुनिकता की तेज रफ्तार ने परंपराओं के रंगों को हल्का कर दिया है। फिर भी हरियाली तीज आज भी भारतीय स्त्रियों के मन में गहरे तक रची-बसी है। यह पर्व आज केवल धार्मिक या पारंपरिक नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी विशेष महत्व रखता है।

हरियाली तीज वर्षा ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है, जो शिव-पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, जब आसमान बादलों से भर जाता है और धरती पर हरियाली बिछ जाती है। हरियाली तीज का मूल भाव प्रेम, समर्पण, सौंदर्य और प्रकृति के साथ तादात्म्य का है। पहले जहां इस पर्व को गाँवों और कस्बों में सामूहिक रूप से खुले वातावरण में मनाया जाता था, वहीं आज शहरी अपार्टमेंटों, वातानुकूलित हॉलों और सोशल मीडिया की चमक में इसकी आत्मा कहीं खोती जा रही है। प्रश्न यह नहीं है कि पर्व मनाया जा रहा है या नहीं, प्रश्न यह है कि हम किस भाव से उसे निभा रहे हैं। पहले यह त्योहार स्त्रियों को सालभर की व्यस्तता और परिश्रम से थोड़ी राहत देने वाला, उनके भावनात्मक संसार को सहेजने वाला एक सहज अवसर होता था। स्त्रियाँ बिना किसी दिखावे के, प्राकृतिक परिवेश में एक-दूसरे से मिलती थीं, अपने सुख-दुख साझा करती थीं, लोकगीतों में अपने अनुभवों को पिरोती थीं। लेकिन अब यह पर्व कहीं-कहीं ह्यसर्वश्रेष्ठ श्रृंगार प्रतियोगिताह्न, ह्यतीज क्वीनह्न और ह्यसेल्फी विद स्विंगह्न जैसे आयोजनों में तब्दील हो गया है, जहाँ संवेदना की जगह प्रतियोगिता ने ले ली है। हरियाली तीज स्त्री मन के उस पक्ष को उजागर करता है जो प्रेम, प्रतीक्षा और पारिवारिक समर्पण से जुड़ा होता है। आज के दौर में जब रिश्ते त्वरित संवाद और क्षणिक भावनाओं में बदलते जा रहे हैं, तब यह पर्व स्थायित्व, आस्था और धैर्य का संदेश देता है। यह पर्व यह भी सिखाता है कि संबंधों को केवल अधिकार से नहीं, कर्तव्य और भावना से निभाया जाता है।

आवारा कुत्तों का आतंक: छः माह में 2.3 लाख मामले 19 की रेबीज से मौत

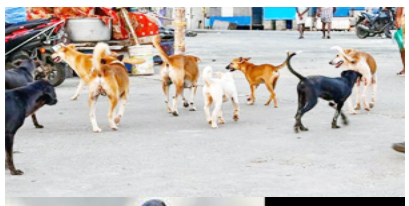

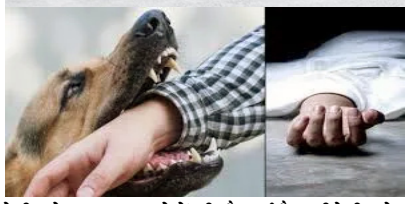

बेंगलुरु । कर्नाटक में पिछले दिनों (रविवार को) एक अध्ययन में 2.3 लाख मामले आवारा कुत्तों के काटने के सामने आए। और रेबीज से कुल 19 लोगों को मैत हुई है। यह जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। ज्ञानवर्धक सूत्र बताते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में इस बार कुत्तों के काटने के मामले में वृद्धि हुई है। कर्नाटक में वर्ष 2024 में कुत्तों के काटने के लगभग 3.6 लाख मामले दर्ज किये गये थे। रेबीज से 42 लोगों की जानें गई थीं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडी एसपी) के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होती है कि कर्नाटक में इस वर्ष जनवरी से जून माह के मध्य कुत्तों के काटने के 2,31,091 मामले सामने आए है। वहीं रेबीज के कारण 19 लोगों की मौत हुई है। वही रेबीज के कारण इसी अवधि में वर्ष-2024 में कुत्तों को काटने से 18 मौतें हुई थीं और कुत्तों के काटने को कुल मामले 1.69.672 मामले सामने आए थे। आंकड़ों के अध्ययन से यह जात होता है कि वर्ष 2024 के, इसी अवधि में कुत्तों के काटे जाने के मामले सामने आए जिनका प्रतिशत 36.20 को वृद्धि होती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो (जिस की पुष्टि घूंघट की बगावत नहीं करता है) में दो आवारा कुत्ते तीन साल की बच्चो पर हमला करले घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। वे लोगों के बीच खासी चिंता पैदा कर दो है। इस विषय में स्थानीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव (हर्ष गुप्ता) की मानें तो स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। उनके अनुसार अब मामलों की संख्या अधिक प्रतीत होती है। क्योंकि उन्हें गंभीरता से रिपोर्ट किया जा रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती थीं लेकिन अब रिपोर्टिंग बेहतर हो गई है। प्रधान सचिव ने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि- हम जागरुकता पैदा करने, कुत्तों के काटने के शिकार होने वालों के इलाज के लिए चिकित्सकों को पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शहरी निकायों तथा ग्रामीण प्रशासन को आवारा कुत्तों की आबादी प्रबंधन के निर्देश देने की ओर ध्यान दे रहे हैं।

आपदा सन्नद्ध समाज निर्माण विषयक दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सेवा भारती और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशिष्ट आपदा शोध केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 'आपदा सन्नद्ध समाज निर्माण' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का भव्य आयोजन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य समाज में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता एवं नेतृत्व निर्माण को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल (से. नि.) सैयद अता हसनैन, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , ने दीप प्रज्वलन एवं प्रेरणादायक वक्तव्य के साथ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, समाज के हर नागरिक को आपदा के समय सजग और तैयार रहना चाहिए, और राष्ट्रीय सेवा भारती जैसी संस्थाएं इस दिशा में राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान दे रही हैं।

मुख्य अतिथि संजीव जिंदल, अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन), ने सरकार की आपदा तैयारी एवं नागरिक भागीदारी की रणनीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और ऐसे प्रशिक्षण शिविर उस दिशा में बड़ा कदम हैं। देश की आईएमडरी जैसी संस्थाएं आपदा की समय रहते जानकारी देने में सक्षम है। उन्होंने सचेत और दामिनी ऐप को सभी को इंस्टॉल और प्रयोग करने का आग्रह किया जिससे स्थानीय जगह पर बिजली गिरने, भारी बारिश और चक्रवात की पूर्व जानकारी मिल जाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश अग्रवाल, अध्यक्ष, सेवा भारती दिल्ली, ने की। उन्होंने सेवा भारती की कार्यप्रणाली और निःस्वार्थ सेवा की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेवा भारती एक शीर्ष समन्वय संस्था है जो देशभर में 800 से अधिक सेवा संगठनों के माध्यम से कार्य करती है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 44,121 सेवा प्रकल्प संचालित हो रहे हैं। यह संगठन केवल नियमित स-वाकार्य ही नहीं, बल्कि आपदा के समय त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाता है।

इस अवसर पर 'राष्ट्रीय सेवा साधनाः आपदा प्रबंधन' विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें देशभर में हो रहे आपदा प्रबंधन से जुड़े सेवाकार्यों, अनुभवों और नवीन प्रयोगों को साझा किया गया है।

कारगिल विजय दिवस पर बच्चों ने दी श्रद्धांजलि

गोरखपुर। गत दिनों कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कन्हैया जु०हा स्कूल शाहपुर, गीतावाटिका गोरखपुर में कारगिल युद्ध में शहीद वीर सैनिकों के माँ के नाम से पेड़ लगाकर 'वृक्षारोपड़' कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। विद्यालय के प्रबन्धक हरेन्द्र प्रताप जयसवाल ने पेड़ के उपयोगिता के बारे में बताया और सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपड़ करने की प्रेरणा दीं। विद्यालय की कार प्रधानाध्यापिका श्रीमती वन्दना चन्द ने बच्चों को कारगिल विजय में शहीद होने वाले वीर सैनिकों की श्रद्धान्जली अर्पित की और वृक्ष है तो जीवन है ऐसा सभी को बताया एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए कहा।

अन्तरराष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच, प्रथम वार्षिकोत्सव

नई दिल्ली। अन्तरराष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच, प्रथम वार्षिकोत्सव 20 जुलाई को डी - 21 स्टूडियो, पैसेफिक मॉल,द्वारका सेक्टर- 21 मेट्रो स्टेशन,द्वारका, नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। वरिष्ठ कवयित्री प्रमिला भारती ने इस समारोह की अध्यक्षता की। राजधानी कॉलेज दिल्ली के प्राचार्य दर्शन पाण्डेय मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हिन्दी अकादमी दिल्ली के सचिव संजय गर्ग उपस्थित रहे। कवयित्री रंजना भूषण ने स्वामी विवेकानन्द द्वारा रचित सरस्वती वन्दना से कार्यक्रम की शुरूआत की।तत्पश्चात वंदेमातरम्गान का सामुहिक वाचन किया गया। दो सत्रों मे सम्पन्न हुए इस कार्यक्रम के पहले सत्र का संचालन सकारात्मक मंच के उपाध्यक्ष एवं हास्य कवि ओम प्रकाश कल्याणे ने तथा दूसरे सत्र का संचालन अन्तरराष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच की अध्यक्ष एवं कवयित्री ,लेखिका डॉ. कीर्ति काले द्वारा किया गया। स्वागत भाषण में डॉ. कीर्ति काले ने वर्ष पर्यंत संस्था की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए आगामी लक्ष्य के विषय में बताया। सैनिकों को मिला शौर्य सम्मान, सपत्नीक उपस्थित रहे सैनिक सेना के तीनों अंगों जल, थल एवं नभ सेना तथा सीमा सुरक्षा बल के पराक्रमी सैनिकों को ह्यशौर्य सम्मानह्न से सम्मानित किया गया। रीयर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर (भारतीय जल सेना) ,कर्नल पुष्पेन्द्र कुमार यादव (भारतीय थल सेना) ,सार्जेंट डॉ. राजा राम यादव (भारतीय वायुसेना) ,इंस्पेक्टर विक्की कुमार (सीमा सुरक्षा बल) से सम्मानित किए गए।सकारात्मक साहित्य मंच के सदस्यों की कविताओं का साझा संकलन ऑपरेशन सिन्दूर का भव्य लोकार्पण इन्हीं सम्मानित सेना अधिकारियों द्वारा किया गया। शब्दांकुर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एवं डॉ.कीर्ति काले द्वारा सम्पादित इस साझा संकलन का आवरण चित्र प्रख्यात चित्रकार श्री संदीप राशिनकर जी ने बनाया है।

स्व. सुधाकर रामकृष्ण भागवत स्मृति समाज-गौरव सम्मान समाज सेवी संस्था पहल को सम्मान राशि एवं अलंकरण के साथ प्रदान किया गया।

श्रीमती प्रमिला भारती साहित्य- साधक सम्मान वरिष्ठ कवि डॉ. प्रवीण शुक्ल को सम्मान राशि एवं अलंकरण के साथ प्रदान किया गया ₹स्व.सुरेन्द्र दुबे (जयपुर) युवा हास्य- गौरव सम्मानह्न युवा कवि विनीत पाण्डेय को एवं डॉ. कीर्ति काले युवा गीत-गौरव सम्मानह्न युवा कवयित्री प्रीति त्रिपाठी को सम्मान राशि एवं अलंकरण के साथ प्रदान किया गया।

दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन हुआ।जिसका उपस्थित सभी ने भरपूर आनन्द लिया।इस कार्यक्रम में डॉक्टर कीर्ति काले की माताजी ने भी भाग लिया और तमाम श्रोताओं को अपने आशीष वचन से भाव विभोर कर दिया। आभार प्रदर्शन संस्था के सचिव संजीव कुमार ने किया।

इस कार्यक्रम में कवि राजेश चेतन,देवेन्द्र माँझी,प्रेम बिहारी मिश्र,सरदार प्रताप फौजदार, श्रीकान्त काले,भावना कुंअर, ,अंजू जैन,संदीप शजर,आदित्य शुक्ल, प्रेम सिंह उतोमर,कान्हा काले आदि की उपस्थिति रही।

व्यवस्थापक रमेश कुमार गंगेले ह्यअनंतह्न और डॉ. वर्षा सिंह ने आगंतुक कवि, लेखकों, सैनिकों एवं रसिक दर्शकों श्रोताओं का स्वागत किया और अन्त में स्वादिष्ट जलपान की समुचित व्यवस्था भी की गई थी।

प्रस्तुति : सीमा रांगा

पुण्यतिथि पर फूलनदेवी को किया नमन

बस्ती। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूर्व सांसद वीरांगना फूलनदेवी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि वीरांगना फूलन देवी ने जीवन भर संघर्ष किया। वह जमीन से जुड़ी नेता थीं। सपा ने उन्हें सांसद बनाया किंतु नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। विधायक राजेंद्र चौधरी, मो. सलीम, मो. स्वालेह, अरविंद सोनकर, जावेद पिंडारी, गीता भारती, मो. हारिश, पंकज निषाद, युनूस आलम, ज्ञानचंद्र चौधरी आदि ने फूलन देवी के संघर्ष को नारी शक्ति एवं सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। सपा के जिला मंत्री मो. स्वालेह ने बताया कि बस्ती सदर के मड़वानगर, हरैया में अशोकपुर शिव मंदिर परिसर, महादेवा में रामपुर, रूधौली में रानीपुर में कार्यक्रम आयोजित कर वीरांगना फूलनदेवी को याद किया गया। इसी तारतम्यता में निषाद पार्टी ने प्रेस क्लब सभागार में पूर्व सांसद फूलन देवी की 24वीं पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया।

मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव दीपू निषाद और समाजसेवी डा. राम मूर्ति ने कहा कि वीरांगना फूलन देवी की जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है।

उन्होंने समाज में अन्याय और शोषण के खिलाफ हथियार भी उठाया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक निषाद ने कहा कि फूलनदेवी ने अन्याय का डटकर सामना किया। वक्ताओं ने सांसद फूलनदेवी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराकर मामले का खुलासा करने की मांग की।

वीरांगना फूलनदेवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से भोला निषाद, धर्मराज निषाद, अजय कुमार निषाद, ज्ञान प्रकाश निषाद, यमुना निषाद राम अचल निषाद आदि शामिल रहे।

▶ पूर्व प्रधामंत्री इंदिरा गांधी का टूटा रिकार्ड

लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी

▶ स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री

▶ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता

नई दिल्ली। यानी आज से नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही वे देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ कर उन्हें पीछे छोड़ दिया है। जवाहरलाल नेहरू अभी भी 16 वर्ष और 286 दिनों के साथ लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं, जो गैर-हिंदी भाषी राज्य से आते हैं और सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने हुए हैं।

मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे किए, जबकि इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक 4077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहीं। केंद्र और राज्य सरकारों के नेतृत्व की बात करें तो नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड सभी प्रधानमंत्रियों में अनूठा है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व किया है।

नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। वे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। इसके अलावा, वे एकमात्र गैर-कांग्रेसी नेता हैं, जिन्होंने कम से कम दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए। वे लगातार दो बार चुने जाने वाले पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता हैं। इंदिरा गांधी (1971) के बाद वह पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद वह एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व में लगातार तीन लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। इसके अलावा, वह सभी मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों में एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार छह चुनावों में जीत दर्ज की। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनावों के साथ मोदी ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की।

बंगाल के नागरिकों को एनआरसी नोटिस भेजना उनकी पहचान पर हमला: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि असम की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार बंगाल के वास्तविक नागरिकों को एनआरसी नोटिस भेज रही है। उन्होंने भाजपा पर बांग्ला पर हमला करने का भी आरोप लगाया। बनर्जी ने अलीपुरद्वार जिले के एक निवासी और कूचबिहार के एक अन्य व्यक्ति को कथित तौर पर भेजे गए ऐसे नोटिस का उदाहरण दिया।

बीते दिनों सोमवार को यहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शहीद दिवस रैली में मुख्यमंत्री ने असम के अपने समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा की आलोचना की और बंगाल के निवासियों को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) नोटिस भेजने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया तथा मांग की कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में दखल देना बंद करें। बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में कहा, ऐसी कार्रवाइयां अस्वीकार्य हैं और बंगाल के निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। पिछले हफ्ते दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच तब वाकयुद्ध छिड़ गया, जब बनर्जी ने असम सरकार की कार्रवाइयों को बांग्ला भाषी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ह्यह्यभाजपा का विभाजनकारी एजेंडा बताया। शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि वह सीमा पार से जारी, अनियंत्रित मुस्लिम घुसपैठ का निडरता से विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को बनर्जी ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार बांग्ला और राज्य के लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है तथा बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी नागरिक करार देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कल भी अलीपुरद्वार के एक परिवार को असम सरकार से नोटिस मिले। असमिया में लिखे ये नोटिस कोकराझार स्थित विदेशी न्यायाधिकरण से आए थे। असम, बंगाल के मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? यह अनैतिक, असंवैधानिक और गैरकानूनी है।

मैं भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार से कहूंगी कि वे अपने काम से काम रखें। शर्मा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री मणिपुर में हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सके। शर्मा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) के संयोजक भी हैं। बनर्जी ने दावा किया, उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं कहना चाहूंगी कि वह मणिपुर में हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सके, जबकि वह पूर्वोत्तर के प्रभारी हैं। आज भी मणिपुर जल रहा है। वह डर के मारे मणिपुर का दौरा भी नहीं कर सकते।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई। और उसके नीचे दबकर कुछ मासूम टाबर झ वो बच्चे जिनकी आँखों में सपने थे, जिनकी किताबों में भविष्य था झ हमेशा के लिए खामोश हो गए। किसी ने कहा, ये एक हादसा था। मगर जिन लोगों की ज़िंदगियाँ मिट्टी में मिल गई, उनके लिए यह हादसा नहीं था। यह हत्या थी। और कातिल हम सब हैं झ चाहे सरकारी सिस्टम हो, प्रशासन, ठेकेदार, या समाज।

गिरती छतें, गिरती जमीर: झालावाड़ हादसा और हमारी व्यवस्था की नींव में छुपी मौत

हमारा समाज कब इतना संवेदनहीन हो गया कि एक स्कूल की छत गिर जाने की खबर पर भी सिर्फ सोशल मीडिया पर ह्यश्रद्धांजलिह्ल और ह्यदुःखदह्ल लिखकर आगे बढ़ जाता है? क्या हमने इतनी जल्दी सीख लिया है, बच्चों की मौत को ह्यन्यू नॉर्मलह्ल की तरह स्वीकार करना? हर ईंट एक गवाही देती है कि इस स्कूल की छत कमजोर नहीं थी–उसकी नींव में ही भ्रष्टाचार घुला था। बिल्डिंग के नक्शे से लेकर निर्माण सामग्री तक, हर कदम पर कोई न कोई ईमानदारी से भागा। और जब ईमानदारी भागती है, तब जमीर गिरती है। और जब जमीर गिरती है, तब छतें गिरती हैं, मासूम दबते हैं।

आप ठेकेदार हैं? आप मिस्त्री हैं? आप इंजीनियर हैं? तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने रिश्वत खाई, अगर आपने सस्ती सामग्री का इस्तेमाल किया, अगर आपने आँखें मूंदी, तो आप हत्यारे हैं। और यह शब्द मैं हल्के में नहीं कह रहा। आज जो छत गिरी है, वह सिर्फ सीमेंट और सरिए की बनी नहीं थी–वह हमारे भरोसे, हमारी ज़िम्मेदारी और हमारे संविधान की आत्मा की छत थी। जब वो गिरी, तो यह संकेत था कि इस देश का लोककल्याण का वादा अब केवल कागज पर बचा है।

सवाल यह भी है कि इन हादसों के बाद जांच कौन करता है? वही विभाग जिनके अधिकारियों ने निर्माण के समय आँखें मूँदी थीं? वही नेता जिनके इशारे पर टेंडर बाँटे गए थे? क्या हमने कभी देखा है कि किसी मंत्री को ऐसे हादसे के लिए इस्तीफा देना पड़ा हो? शायद नहीं। क्योंकि हमारे देश में पद की गरिमा बची है, जिम्मेदारी नहीं। झालावाड़ की घटना से पहले भी कई बार यह जमीर हिली है। मध्य प्रदेश में स्कूल की दीवार गिरने से सात बच्चे मरे थे। उत्तर प्रदेश में पुल के उद्घाटन के तीन दिन बाद ही वह टूट गया था। बिहार में अस्पताल की छत का हिस्सा गिरा और एक मरीज की मौत हो गई। यह हादसे नहीं, पैटर्न हैं। और इस पैटर्न का नाम है–'ठेकेदारी तंत्र'।

यह तंत्र राजनीति, नौकरशाही और व्यापार का त्रिकोण है, जिसमें नीचे हमेशा जनता दबती है। और जब जनता स्कूल में पढ़ते बच्चों के रूप में दबती है, तब यह त्रिकोण त्रासदी बन जाता है। हमारा सिस्टम सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं है, वो संवेदनहीन भी हो चला है। हर मरे हुए बच्चे पर नेता दुख जताते हैं, मुआवजे की घोषणा करते हैं, और फिर किसी अगली चुनावी रैली में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक माँ के लिए मुआवजा क्या होता है? वो बच्चा जो दोपहर की छुट्टी के बाद लौटने वाला था, वो अब सफेद चादर में लिपट कर लौटता है। क्या कोई रकम उस आँचल की गर्मी लौटा सकती है जिसमें अब सिर्फ सूनापन बचा है?

हमें यह भी सोचना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे स्कूल भवन इतने पुराने हैं? नहीं। कई जगह हाल ही में बने स्कूल भी गिर रहे हैं। असली वजह है–मानक प्रक्रिया का पालन न करना। स्कूल भवन बनाने में सस्ती सामग्री का प्रयोग, स्थानीय राजनीतिक

हस्तक्षेप, टेंडर प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, और निर्माण के समय तकनीकी निरीक्षण का अभाव। सरकारें योजनाएं बनाती हैं–सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल चलें हम–लेकिन क्या कोई अभियान स्कूल बचे रहें भी है? क्या कोई योजना बच्चों की जान बचाने के लिए है? या फिर वो सिर्फ आँकड़ों के लिए हैं?

यहां एक और पहलू देखिए–ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल तो पंचायत की जमीन पर बने हैं, जिनका न तो नियमित निरीक्षण होता है, न ही मरम्मत। कई जगह प्रधान ही ठेकेदार होता है, और उसके निर्माण में 'गुणवत्ता' शब्द मजाक बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि कहीं-कहीं सरकारी स्कूलों की दीवारें पोस्टरों और नारों से पटी होती हैं–पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया–लेकिन दीवार के अंदर बालू और भ्रष्टाचार से बनी ईंटें सांस ले रही होती हैं।

समस्या केवल भवन की नहीं है, पूरी मानसिकता की है। जब तक हम हर सरकारी काम को ह्यचलता हैह्ल की मानसिकता से देखते रहेंगे, तब तक छतें गिरती रहेंगी। और हर छत के साथ कुछ सपने, कुछ हँसते चेहरें और कुछ माँ-बाप की पूरी दुनिया ढहती रहेगी।

हमें अब बदलाव की शुरूआत करनी होगी–जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हर सरकारी निर्माण का लाइव ऑडिट होना चाहिए। निर्माण सामग्री की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। आरटीआई के माध्यम से स्कूल भवनों की गुणवत्ता की रिपोर्ट जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। निर्माण कार्यों में स्थानीय समाज को निगरानी का अधिकार देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अब न्यायिक हस्तक्षेप भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। निर्माण में लापरवाही को क्रिमिनल नेग्लिजेंसह्ल मानकर दोषियों पर गैर-जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अब वक़्त आ गया है कि समाज भी अपनी भूमिका समझे। हर मोहल्ले, हर गाँव में लोगों को पूछना चाहिए–हमारे बच्चों का स्कूल सुरक्षित है या नहीं? अगर नहीं, तो आवाज उठानी चाहिए। चुप रहना भी अपराध है। पत्रकारों को भी घटनास्थल पर जाकर खबरें बनानी चाहिए, सिर्फ ह्ल बच्चे मरेह्ल जैसी हेडलाइनों से आगे बढ़कर यह पूछना चाहिए–क्यों मरे? किसकी लापरवाही? और अब क्या कार्रवाई? पत्रकारिता अगर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह गई, तो वह भी इस व्यवस्था की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती। झालावाड़ के उन मासूम बच्चों की आत्मा भले ही अब इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी यादें हमें यह याद दिलाती रहेंगी कि हमारी खामोशी किस हद तक खतरनाक हो सकती है। हर बच्चा जो उस स्कूल में पढ़ने गया था, उसने देश के भविष्य में निवेश किया था। मगर बदले में हमने उसे मलबे में दफना दिया।

जब अगली बार आप किसी इमारत को बनते देखें, तो सिर्फ यह मत देखिए कि वह कितनी ऊँची होगी, यह भी सोचिए कि उसकी नींव में ईमान है या नहीं। क्योंकि अगर नींव में लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार है, तो वह इमारत नहीं, कब्र है। आज जो मलबा झालावाड़ में बिखरा है, वह सिर्फ एक इमारत का नहीं है, वह हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी और हमारी संवेदना का भी मलबा है।

उन बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं चाहिए–उन्हें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ तब होगा जब हमारी व्यवस्था की छतें फिर से मजबूत होंगी। जब हर ईंट में ईमानदारी होगी। जब ठेकेदार अपनी जमीर से निर्माण करेगा। जब अधिकारी निरीक्षण में गफलत नहीं करेगा। जब समाज खामोश नहीं रहेगा। हर टूटती छत, हर गिरती दीवार हमसे पूछ रही है–क्या अब भी तुम्हारी जमीर ज़िंदा है?

-प्रियंका सौरभ

इस हादसे के जिम्मेदार कौन..?

साल 2021 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश में 27099 स्कूलों के पास उचित भवन नहीं हैं। यह भी बताया गया कि देश में कुल 10,32,570 सरकारी स्कूल हैं जिनमें 2.6 प्रतिशत इमारतों को लेकर शिकायत है।

कहा जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से छत गिरी, लेकिन यह बताना या तर्क खारिज किए जाने योग्य है। यह पूछा जाना चाहिए कि बारिश अगर लगातार हो रही थी तो झालावाड़ में कितनी इमारतें लोगों के सिर पर गिरी है? यह बहुत अफसोसजनक है और चिंता की बात है कि अनेक अधिकारी बहुत मूर्खतापूर्ण बहाना बनाकर अपने आप को जिम्मेदारी से बच्चा ले जाते हैं। यह भी देखने वाली बात है कि कई बच्चों की मौत हुई है, पर कोई शिक्षक ज्यादा घायल नहीं हुआ है क्या शिक्षकों को पता था कि- छत ढह सकती है। यह कहना ही चाहिए कि प्राथामिक रूप से ग्रह शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की कभी है। राज्य सरकार' को पूरी सख्ती के साथ पड़ताल करनी

चाहिए और यह देखना चाहिए कि-इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? इन लोगों पर गैर इरादत हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए ।

ध्यातव्य है कि स्कूल की इमारत से जुड़ा यह कोई पहला हादसा नहीं है। बीते दिसंबर में केरल के एनाकुलम के उदयमपेरूर में एक स्कूल की इमारत ढही थी। हालांकि, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई थी। पीछले साल बारिश के दिनों में ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक स्कूल की पहली मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा गिरने से कम से कम 43 बच्चे घायल हो गए थे। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक स्कूलों और इमारतों जुड़े हादसे होते रहते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत ही मर्माहत ही नहीं करती गंभीर चिंता में भी डाल देती है। छत गिरने से करीब सात मासूम की मौत और अनेक बच्चों का घायल होना शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करता है। इसमें कोई शक नहीं कि स्कूल बच्चों के लिए दूसरे घर की तरह होते हैं। पूरे भरोसे के साथ बच्चे अपने दूसरे घर की. तरफ जाते है। ताकि वह अपने भविष्य को संवार सकें। पर भविष्य संवारने आए कुछ बच्चे अपने 'घर वापस नहीं जा पाए। सुबह जब एक मंजिला इमारत की छत गिरी, 8 शिक्षकों और कर्मचारियों के अलावा 60 बच्चे परिसर में मौजूद थे। सवाल यह कि - अगर इमारत जर्जर हालत में थी तो वहां स्कूल किसके आदेश से चलाया जा रहा था? अगर शिक्षकों ने पहले शिकायत की थी और बड़े अधिकारियों ने इमारत को सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए, तो यह और भी गंभीर अपराध है। ऐसी अत्यधिक लापरवाही अक्षम्य है। जो भी अधिकारी स्कूलों के रख-रखाव होने वाली कमियों' को नजर अंदाज कर दिया उनके लिए हमारे तंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

क्या हम समग्रतः अपने स्कूलों की भी रखवाली या रखरखाव नहीं करता रहे हैं। अधिकारिक रूप से स्कूलों की स्थिति को अगर हम बात करें के चिंता होती है। गौरतलब है कि -असम में कच्ची इमारतों वाले स्कूलों की संख्या सर्वाधिक है। पर वहां शिक्षक और अधिकारी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सचेत रहते हैं। राजस्थान में भी यदि बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला सचेत रहता तो वहां पर झालावाड़ में स्कूल की इमारत ढहने जैसी घटना घटित नहीं होती। और ना ही मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता।

घोर लापरवाही की परिचायक स्थितियां

स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश भी जारी किए गए थे कि-जर्जर भवनों वाले स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया जाए लेकिन हैरत की बात यह है कि यह विद्यालय जर्जर भवनों की सूची में दर्ज था ही नहीं। इसी वजह से स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों अनुपालन नहीं किया गया। उनकी अवहेलना की गई ऐसी स्थितियां घोर लापरवाही की परिचायक है और जवाबदेही की कमी को दशार्ती हैं।

नई शिक्षा नीति में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है लेकिन झालावाड़ जैसे हादसे जमीनी स्तर पर इसके नगण्य प्रभाव को ही दशार्ते हैं। लिहाजा सभी स्कूलों की इमारतों की नियमित व पारदर्शी जांच होनी चाहिए जिसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की एक समिति गठित की जा सकती है, जो स्कूल भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करती रहे। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और अगर कोई स्कूल असुरक्षित स्थिति में पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। चूंकि स्थानीय लोग स्कूलों की स्थिति के बारे में बेहतर जानते हैं। स्कूलों के प्रबंधन में इसकी भागीदारी को बढ़ावा देना भी जरुरी है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनकी शिकायतों को गंभीरता से लेकर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए झालावाड़ में जो कुछ भी हुआ, उसे महज एक और दुर्घटना मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है। बल्कि यह पूरी व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। सरकार प्रशासन और समाज को मिल कर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित स्कूलों में पढ़ें। यह एक नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही एक मजबूत व शिक्षित भारत के निर्माण की पूर्व शर्त भी है। बात सिर्फ झालावाड़ की नहीं है, पूरे देश में सरकारी स्कूलों का यही आलम है। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं, शिक्षकों की कमी है और स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। बीते दिनों राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिरने से कई मासूम बच्चों की मौत और घायल होने की घटना हृदयविदारक होने के साथ ही देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। चर्चा तो यहां तक भी है कि इस स्कूल की इमारत पहले से हो जर्जर अवस्था में थी और लगातार बारिश होने से इसकी हालत और बिगड़ गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश भी जारी किए गए थे कि-जर्जर भवनों वाले स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया जाए लेकिन हैरत की बात यह है कि यह विद्यालय जर्जर भवनों की सूची में दर्ज था ही नहीं। इसी वजह से स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों अनुपालन नहीं किया गया। उनकी अवहेलना की गई ऐसी स्थितियां घोर लापरवाही की परिचायक है और जवाबदेही की कमी को दशार्ती हैं।

सुरक्षा का असली पाठ घर से

हम यह समझने में विफल रहे जिसका परिणाम आगरा जैसे मामले प्रकाश में आते हैं। यह विडंबना नहीं को और क्या है कि हम एक मात्र बौद्धिक, दार्शनिक, धार्मिक व्यवस्था है, जिसकी हमेशा से एक आंतरिक संरचना रही है और उसे धर्म कहते हैं, और धर्म ने हमेशा से यह आन्तरिक संरचना प्रदान की है। जब किसी बच्चे में धार्मिक मूल्यों को कर्मकांडों के जरिए नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में विकसित किया जाता है तो उनकी आंतरिक स्पष्टता ही वह दिशा- सूचक बन जाती है जो जीवन को सच्ची सफलता की ओर ले जाती है।

हम एक ऐसी परंपरा से जुड़े हैं जो हजारों साल पुरानी है। और वर्ष से चली आ रही है। हमें बस अपने मूल्यों और धर्म का सक्रिय संरक्षक बनना है। पिछली पीढ़ियां सदियों से गुलामी और उप-निवेशवाद के कठिन दौर में कहीं ज्यादा संरक्षक रही हैं। अत एका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी धर्म-आधारित पहचान को बचाएं। जब एक दीपाली अमीना बन कर इतनी कट्टरपंथी हो जाती है कि वह मूर्तियों और उन रीति-रिवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिनमें वह पली बढ़ी थी, तो हमें एहसास होता है कि धर्म का प्रचार-प्रसार कितना आसान हो गया है लेकिन कई मायनों में अब बहुत देर हो चुकी है। हमें आपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा समय रहते उठाए गए मिशन अस्मिता जैसे कदमों की सराहना करनी चाहिए और गहराई से स्वीकार भी करना चाहिए कि- सुरक्षा का असली पाठ घर से ही शुरू होता है। जो धर्म नामक आन्तरिक कवच में से एक है। जब हिंदू समाज यह मानता है कि 2025 में बच्चों की परवरिश का सही तरीका सिर्फ खुलापन नहीं है। तो हम सांस्कृतिक रूप से अनाथों की एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोग दुनिया से हो जुड़े होते हैं, लेकिन अपनी जड़ों से कटे होते हैं। युवा भले ही यह मानने से इंकार कर दें कि उन्हें क्या करना है पर वे एक निश्चित ढांचे की चाहत भी रखते हैं और अक्सर ही ढ़ांचे को नियम समझ लिया जाता है। घर लौटने की समय-सीमा, प्रेमी-प्रेमिका का न होना, पढ़ाई का समय वगैरह ये सब ऊपर से थोपे गए हैं, वास्तविक ढांचा हमारे भीतर से और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की समझ से आता है।

हम यह समझने में विफल रहे जिसका परिणाम आगरा जैसे मामले प्रकाश में आते हैं। यह विडंबना नहीं को और क्या है कि हम एक मात्र बौद्धिक, दार्शनिक, धार्मिक व्यवस्था है, जिसकी हमेशा से एक आंतरिक संरचना रही है और उसे धर्म कहते हैं, और धर्म ने हमेशा से यह आन्तरिक संरचना प्रदान की है। जब किसी बच्चे में धार्मिक मूल्यों को कर्मकांडों के जरिए नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में विकसित किया जाता है तो उनकी आंतरिक स्पष्टता ही वह दिशा- सूचक बन जाती है जो जीवन को सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। सेवा संकल्प स्वाभिमान और श्रद्धा के मूल्य ऐसे कवच है जो व्यक्ति को दिखावटी जीवनशैली और जहरीली विचारधाराओं से बताते है लेकिन हमने अपनी संस्कृति के इस शक्तिशाली पक्ष को व्यवस्थित रूप से नजर अंदाज कर दिया है हमने भगवद्गीता के बजाय हमने शेक्सपियर को प्रमाणिकता दी है। आधुनिक दिखने के लिए जलवायु परिवर्तन पर वार्ता करते हैं लेकिन प्रकृति और पंचभूत पर नहीं।

नदियों को नाला घोषित किए जाने पर चिंता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा सफाई से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की पारंपरिक नदियों को सरकारी दस्तावेजों में नाला घोषित किए जाने पर चिंता जताई है। एनजीटी ने चेतावनी दी है कि इस तरह के गलत वर्गीकरण से न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि गंगा-जैसी प्रमुख नदियों के संरक्षण में भी बाधा उत्पल होगी । एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा अमरोहा की छोइया (बाहा) नदी, हरदोई की छुइया नदी और हापुड़ की काली पूर्वी नदी जैसी जलधाराओं को बिना शोधन की निकासी वाले नालों की तरह दिखाया गया है। एनजीटी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नदियां - चाहे मौसमी हो सदानीरा (हमेशा जल से भरी रहने बाली) उन्हें नालों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये जल धाराएं गंगा के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।

बेंगलुरु भगदड़: दर्शकों के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित चिन्नास्वामी स्टेडियम

बेंगलुरु। बेंगलुरु भगदड़ प्रकरण में जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा आयोग की रिपोर्ट में चिन्नास्वामी स्टेडियम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आयोग ने स्टेडियम को दर्शकों के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित करार दिया है इसके साथ हो इस स्टेडियम में इस स्टेडियम में इस साल के अंत में होने वाले महिला दिन विश्वकप मैच सहित कुछ बड़े मुकाबलों पर संदेह के बादल छाए हैं। गए हैं। आयोग ने अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित करने पर विचार करने को कहा है, जहां भीड़ को समायोजित करने की क्षमता हो। आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। इसमें प्रवेश निकास द्वार में सुधार करना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, आपातकालीन निकासी योजनाएं तैयार करना शामिल है।

आयोग ने केएससीए के अध्यक्ष रघुराम भट्ट अब त्यागपत्र दे चुके सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जय राम, आरसीबी के उपाध्यक्ष राजेश मेनन, इंटरटेनमेंट नेटवर्क के एमडी वेंकट और वीपी सुनील माथुर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का सुझाव दिया है।

कितना रोये होंगे वह पेड़

कितना रोये होंगे वह सेव से लदे पेड़
जब चली होगी विभाग की उनपर कुल्हाड़ी
क्या कसूर था उनका यदि सरकारी जमीन पर थे
जब लगाए थे तब किसकी गई थी मति मारी
गिरने से पहले सोचते होंगे
मानव कितना बड़ा है अत्याचारी
छोटे छोटे बच्चों की तरह थे लटके सेव
अपने बच्चों की याद नहीं
आई कैसे चलाई होगी आरी
क्यों काटना जरूरी था उनको
इसलिए कि अतिक्रमण था
और नहीं तो फलों को तो तोड़कर कर देते किनारे
भूख से बिलबिलाते नन्हें बच्चों को ही खिला देते
पेट भर जाता मिल जाते उनको सहारे
कहते हैं पेड़ लगाने हैं पर्यावरण है बचाना
काट दिए उन्होंने हरे पेड़ जिनका काम था लगाना
कोई कुछ नहीं कर सका न्यायालय के आगे
कोई युक्ति काम न आई कैसे था इनको बचाना
पेड़ को तो उगना था जमीन
निजी होती या सरकारी
जब लगाये थे पौधे तब क्यों
नहीं थी विभाग को जानकारी
फलों से लदे पेड़ों को काटना बहुत बड़ा है पाप
आने वाले समय में यह हो सकता है विनाशकारी

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

घूँघट की बगावत

27 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

4

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: एक क्रांतिकारी कदम

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की अंतिम स्वीकृति ने न केवल वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य को भी एक नई दिशा दी है। दोनों देशों के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का फायदा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से संरक्षणवाद बढ़ा है, उसमें ऐसे व्यापार समझौतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों को भी भारत की मजबूत होती स्थिति का आइना दिखाया है, जो उनकी दूरगामी एवं कूटनीतिज्ञ राजनीति का द्योतक है। इस समझौते को मौजूदा दौर में दुनियाभर में जारी बहुस्तरीय तनाव, दबाव एवं दादागिरी की राजनीति के बीच एक बेहतर एवं सूझबूझभरी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुल्क के मोर्चे पर एक बड़ा द्वंद्व एवं संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन भारत ने इस द्वंद्व के बीच झूकने की बजाय नये रास्ते खोजे हैं। निश्चित ही यह व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) महज एक कागजी करार नहीं, बल्कि ह्यविकसित भारत 2047ह्ल के स्वप्न को मूर्त रूप देने की ठोस रणनीति है। जहां एक ओर यह समझौता 99 प्रतिशत टैरिफ को समाप्त कर वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, कृषि व रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को नई उड़ान देगा, वहीं दूसरी ओर छोटे उद्यमों, मछुआरों और किसानों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगा। भारत के ग्रामीण अंचलों से हल्दी, दाल, अचार जैसे उत्पाद अब ब्रिटिश बाजारों में अपनी महक फैलाएंगे।

मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर जोर दिया, उसी का परिणाम है यह करार। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अब भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व से संवाद करता है। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह सेवा क्षेत्र, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, निवेश, सामाजिक सुरक्षा, और दोहरे कराधान जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों के लिए नए दरवाजे खोलता है। खासकर ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए यह राहत का संदेश है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिल सकेगी। यह समझौता इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि अब तक अमेरिका की ओर से पैदा किये गये किसी दबाव के आगे भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने भारत-ब्रिटेन जैसे नये विकल्पों को खड़ा करने और पुराने को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं।

ब्रिटेन के साथ यह एफटीए एक उदाहरण है कि कैसे भारत न्यायसंगत और समावेशी व्यापार समझौते कर सकता है, जिसमें न तो अपने किसानों, न ही डेयरी

वर्तमान में भारत का वैश्विक व्यापार लगभग 21 अरब डॉलर है, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना रखता है। यह न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी को 17 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायक होगा। इस करार के साथ, मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि जब नियोजित दृष्टिकोण, वैश्विक प्रतिष्ठा और साहसिक निर्णय साथ चलते हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश भी वैश्विक मंच पर निर्णायक बन सकते हैं।

ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने के अपने संकल्प में नये पंखों को जोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने भारत के व्यापारिक दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था, लेकिन अतीत की उन बड़ी भूलों को सुधारा जा रहा है, जो नये भारत-विकसित भारत का आधार है।

मोदी के मेड इन इंडिया संकल्प की दृष्टि से यह डील बेहद अहम है। इससे करीब 99 प्रतिशत निर्यात यानी यहां से ब्रिटेन जाने वाली चीजों पर टैरिफ से राहत मिलेगी। इसी तरह ब्रिटेन से आनी वाली चीजें भारत में सस्ती मिल सकेंगी। जिससे आम लोगों को अधिक गुणवत्ता वाला सामान सस्ते में सुलभ होगा और जीवनस्तर में व्यापक सुधार होगा। डील से एक बड़ा फायदा होगा टेक्सटाइल्स, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स को। इनसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.8 प्रतिशत है, जबकि चीन की 28.8 प्रतिशत। इसी तरह, देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 17 प्रतिशत है और सरकार इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। इस तरह की डील से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर प्रदर्शन में सुधार होगा। कृषि सेक्टर को भी उन्नत बनाने एवं अधिक उत्पाद की दृष्टि से व्यापक फायदा होगा। इसके लिए इस समय भारत की बातचीत अमेरिका से भी चल रही है। लेकिन वहां कृषि और डेयरी प्रॉडक्ट्स को लेकर रस्साकशी है। अमेरिका इन दोनों क्षेत्रों में खुली छूट चाहता है, जबकि अपने लोगों के हितों को देखते हुए भारत ऐसा नहीं कर सकता। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार होने से भारत के कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

क्रांतिकारी सुधारों, नवाचार, तकनीक, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आर्थिक सूरज के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है और भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एक के बाद एक एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं। ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं नागरिक हितों तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे कराधान का मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को अब अनेक सुविधाएं मिलेगी।

साल 2014 के बाद से भारत ने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए के साथ फ्री व्यापारिक समझौते किये हैं। ईएफटीए का अर्थ है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। यह एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें चार यूरोपीय देश शामिल हैं- आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। यूरोप से बातचीत जारी है, जिसे जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। अर्थ-व्यवस्था के मोर्चे पर आने वाली चुनौतियों से निपटने में ऐसे समझौते सहायक होंगे। इस बीच, अगर भारत की अमेरिका के साथ अच्छी व्यापार डील होती है तो उससे भी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की ओर कदम बढ़ेंगे। लेकिन ब्रिटेन से समझौता केवल व्यापार नहीं, भविष्य का निर्माण है। यह कृषि को समृद्धि, उद्योग को विस्तार, युवाओं को अवसर, और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर सशक्त करता है। निश्चित ही जहां बाजार बनते हैं अवसरों के, वहीं नीति बनती है भविष्य की नींव। भारत और ब्रिटेन के इस करार से विश्व सुनेगा अब भारत की गूंज!

– ललित गर्ग

युवा देश, वृद्ध नेतृत्व: क्या लोकतंत्र में उम्र जनादेश से बड़ी है?

भारत आज संसार का सबसे युवा देश है। हमारी जनसंख्या का लगभग पैंसठ प्रतिशत भाग पैंतीस वर्ष से कम आयु का है। यही युवा भारत की शक्ति है, उसकी आकांक्षा है, उसका वर्तमान और उसका भविष्य है। किन्तु यह भी कटु सत्य है कि इस युवा देश का नेतृत्व अब भी उन हाथों में है, जिनकी आयु साठ से पचहत्तर वर्ष के बीच है। प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत का लोकतंत्र ऐसा ढाँचा बन चुका है, जहाँ युवा केवल झंडा उठाते हैं, और निर्णय कुर्सियों पर बैठे वृद्ध नेताओं के हाथ में रहता है?

भारतीय संविधान ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी नागरिक पच्चीस वर्ष की आयु में लोकसभा का सांसद बन सकता है तथा पैंतीस वर्ष की आयु में राष्ट्रपति का पद भी ग्रहण कर सकता है। यह बात प्रत्यक्ष रूप से यह दर्शाती है कि हमारा संविधान युवाओं को नेतृत्व के योग्य मानता है। परन्तु व्यवहार में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। स्वतंत्रता के पश्चात आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जिसकी आयु चालीस वर्ष से कम हो। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुलपति, आयोगों के अध्यक्ष – लगभग सभी उच्च पद ऐसे व्यक्तियों के पास हैं जिनकी आयु साठ से ऊपर है। क्या यह केवल एक संयोग है, अथवा एक सुनियोजित राजनीतिक रचना है, जो युवाओं को अवसर प्रदान करने से हिचकिचाती है?

अनुभव का महत्त्व निर्विवाद है, परंतु जब वही अनुभव युवाओं के अवसर को बाधित करने लगे, तब लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज के समय में नेतृत्व केवल बैठकर निर्णय लेने तक सीमित नहीं है, अपितु उसमें सामाजिक माध्यमों की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक सूझ-बूझ, वैश्विक सोच तथा तीव्र निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। और यह सभी गुण प्रायः युवा नेतृत्व में अधिक प्रभावशाली रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि एक पच्चीस वर्षीय युवा सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है, यदि एक अट्ठाईस वर्षीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष अभियान का संचालन कर सकता है, तो एक तीस वर्षीय युवा राजनीतिज्ञ सरकार क्यों नहीं चला सकता?

यह कोई एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। भारत की लगभग सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियों में शीर्ष नेतृत्व की औसत आयु साठ से ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी (चौहत्तर वर्ष), अमित शाह (साठ वर्ष से अधिक), कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी (सत्तर से अधिक), मल्लिकार्जुन खड़गे (इक्यासी वर्ष), समाजवादी पार्टी से लेकर जनता दल तक – सभी दलों में नेतृत्व उम्रदराज नेताओं के हाथों में केंद्रित है। यह विडंबना ही है कि जो नेता युवाओं से मत माँगते हैं, वही स्वयं सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुके हैं, परंतु सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं। प्रत्येक बड़ी पार्टी में ₹युवा मोर्चा₹, ₹छात्र संगठन₹, अथवा ₹नवजवान इकाई₹ अवश्य होते हैं, परंतु उन्हें केवल प्रचार कार्य, झंडे लगाना, नारे लगाना, या सामाजिक माध्यमों पर संदेश साझा करने जैसे सीमित कार्यों में लगाया जाता है। वास्तविक नीतिनिर्माण, टिकट वितरण, मंत्रिमंडल की चर्चा या रणनीति तय करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से उन्हें वंचित रखा जाता है। उन्हें केवल तालियाँ बजाने और भीड़ जुटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, न कि शासन चलाने के लिए।

इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने संगठनात्मक ढाँचे में परिवर्तन लाना होगा। उन्हें युवाओं को केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि वास्तविक निर्णयात्मक भागीदारी देनी होगी। हर दल को निर्वाचन के समय कम-से-कम पच्चीस से तीस प्रतिशत प्रत्याशी युवाओं में से चुनने चाहिए – चाहे वह लोकसभा हो, विधानसभा हो, या स्थानीय निकाय।

साथ ही साथ वरिष्ठ नेताओं के लिए कार्यकाल या अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। जिस प्रकार अन्य सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित होती है, उसी प्रकार राजनीति में भी सत्तर वर्ष से अधिक आयु के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में रखा जाना चाहिए, न कि वे सक्रिय पदों पर बने रहें। राजनीतिक नेतृत्व के लिए युवाओं को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा पुलिस सेवा के लिए अकादमी होती है, उसी प्रकार राजनीति में भी नीति, विधि, प्रशासन, नैतिकता तथा संवाद-कला की शिक्षा देने वाले संस्थान स्थापित किए जाने चाहिएं। प्रत्येक राज्य तथा केंद्र में युवाओं को नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जोड़ा जाना चाहिए, जहाँ उनकी दृष्टि और सुझावों को मान्यता मिले। नेतृत्व के अवसर की माँग के साथ-साथ युवाओं को स्वयं को तैयार भी करना होगा। राजनीति को केवल करियर या लोकप्रियता का साधन न समझकर जनसेवा का माध्यम मानना होगा। उन्हें विचारधारा की गहराई, नीति की समझ, लोकहित की भावना, तथा संघर्ष का साहस अपने भीतर विकसित करना होगा। साथ ही, उन्हें अफवाहों और झूठे प्रचार से ऊपर उठकर तथ्यों पर आधारित संवाद स्थापित करने की आदत डालनी होगी।

आज के युवाओं में जोश है, नवचिंतन है, नवोन्मेष है, और नेतृत्व की इच्छा भी है – परंतु उन्हें केवल मंच की शोभा बनाकर छोड़ दिया जाता है। उन्हें सत्ता के निकट आने से रोका जाता है। यह लोकतंत्र के साथ अन्याय है। हमारे इतिहास में जब-जब युवाओं को नेतृत्व मिला है, देश ने नई दिशा पाई है। शहीद भगत सिंह ने केवल तेईस वर्ष की आयु में साम्राज्यवादी सत्ता को हिला दिया था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उनकी आयु मात्र चालीस वर्ष थी – और उन्होंने कम्प्यूटर, दूरसंचार, पंचायती राज जैसी दूरदर्शी योजनाओं की नींव रखी। विदेशों में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बराक ओबामा, ऑस्ट्रिया में सेबास्टियन कुर्ज.– सबने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व उम्र से नहीं, दृष्टि और साहस से तय होता है। भारत की जटिल समस्याएँ – बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी क्र-ांति – इन सभी के समाधान के लिए नवीन सोच और तेज निर्णयों की आवश्यकता है। और यह सब हमें युवा नेतृत्व से ही प्राप्त हो सकता है। देश केवल वृद्ध सेनापतियों से नहीं, युवा कप्तानों से भी आगे बढ़ेगा – जो अपने भीतर ऊर्जा, साहस और स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। आज यह विचार करना आवश्यक है कि क्या हमारे प्रतिनिधि वास्तव में हमारी औसत आयु का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो युवा भारत की आकांक्षाओं को स्वर दे? राजनीति में युवाओं की भागीदारी केवल समय की माँग नहीं, अपितु लोकतंत्र की वास्तविकता का प्रमाण है। नेतृत्व की उपयुक्तता उम्र से नहीं, विचार और दृष्टिकोण से मापी जानी चाहिए। युवाओं को केवल नारे देने के लिए नहीं, देश चलाने की ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए। तभी हमारा भारत सही अर्थों में एक युवा राष्ट्र कहलाएगा।

प्रियंका सौरभ

अंधेर नगरी बनाने के लिए बिहार के माफिया चुनाव आयोग के खिलाफ

चुनाव आयोग ने जब बिहार में फर्जी वोटरों का आकड़ा दिया तो लोकतंत्र में फर्जी वोटरों को बचाने के लिए राहुल संसद के बाहर, अखिलेश मस्जिद में और तेजश्वी सड़क पर उतर गए। अब फर्जी नेताओं और उनके फिट किए गए यूट्यूबर की जान हलक में आ गई। आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नें कहा कि क्या स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन अर्थात एसआईआर पर उठाए जा रहे बेबुनियादी सवालों से डर कर चुनाव आयोग, ऐसे लोगों के बहकावे में आकर, मरे हुए मतदाताओं, स्थायी तौर से प्रवास कर गये मतदाताओं, दो जगह वोट बनवा चुके मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने वाले लोगों को पहले बिहार में, फिर पूरे देश में, संविधान के विरुध्द जाकर फर्जी वोट डालने की अनुमति दे दे ? गनीमत है कि ₹लोकतंतर₹ बचाने का नारा देने वालों ने अभी तक यह नारा नहीं दिया है कि मुर्दों को भी वोट देने का अधिकार है। हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका नाम आखिर मतदाता सूची से क्यों हटाया जा रहा है ? बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू के बाद ये तो तय है कि फर्जी वोटिंग बिहार चुनाव की पहचान रही है और इसी के बलबूते में जंगलराज कायम होता था और गुंडे और मुजरिम चुनाव आसानी से जीत जाते थे। अब जब चुनाव आयुक्त नें बिहार में रोहिंग्या एंट्री के आशंका को जाहिर किया तो कुछ सेक्यूलर टोपीधारी नेता सड़को पर उतर उत्पात मचाने की बात कर रहें। चुनाव आयोग नें सुप्रीम कोर्ट में जो धाँसू हलफनामा दिया है उस हलफनामे में 80 पेज का जो ऑपरेटिव हिस्सा है उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वह निश्चित रूप से बिहार के हिन्दू कम्युनिटी को चौकाने वाला है ! सूत्रों की माने ₹ह्ल चुनाव आयोग ने एक एक्टिविस्ट की बात को स्वीकार किया है जिसने सबसे पहले कहा था की 2003 में जिन चार करोड़ 96 लाख वोटो का जिक्र है उनमें से एक करोड़ 10 लाख वोटो का देहावसान हो चुका है फिर भी वो वोटर लिस्ट में बने रहें इसलिए 2003 की वोटिंग लिस्ट में 3 करोड़ 85 लाख वोट है जो इन 9 करोड़ वोटरो में से सत्यापित किया जा रहे हैं बाकि नए वोटर है जिन्हें कागज दिखाने पड़ेंगे। बाकी सारे नाम समरी रिवीजन के बाद फर्जी साबित होंगे और उन्हें हटाया जायेगा जो बेहद सटीक और विचारयोग्य है। बिहार में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया नें बिहार के लोगो को नया उत्साह दिया है। जो मतदाता सूची चुनाव आयोग ने दी है वह स्वीकार योग्य है। सूत्रों की माने तो बिहार में 1980 से 2025 के बीच में 2 करोड़ 86 हजार लोगों नें ही मैट्रिक के सर्टिफिकेट दिए हैं ! आंकड़े कहते है कि बिहार में 9 लाख सरकारी कर्मचारी है यह बात मानी जा सकती है इसमें 5 लाख वर्तमान में और चार लाख पेंशनर सरकारी कर्मचारी है। कुछ यूट्यूबर सर्वे हुए हैं उनमें कहा गया कि अनुसूचित जाति से लगभग 80% लोगों को आदिवासियों में 65% लोगों को ओबीसी में 90 % लोगों को और सवर्ण जाति में 60 % लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं ! तो फिर ये कागज दिखाइए ! क्या दिक्कत है..? चुनाव आयोग जिन जाति प्रमाण पत्रों के जिक्र कर रहा है जो सरकार द्वारा जारी कर दिए गए वो लगभग 9 करोड़ है। बाकीयों को फैमिली प्रमाण पत्र बांटे गए है जिनकी संख्या लगभग ढाई करोड़ है। चुनाव आयोग ने सिर्फआंकड़ों पर ही बोला है। क्रियान्वयन के संदर्भ में भी जो तथ्य उसने दिए हैं वह सब जमीन पर नजर आ रहे। चुनाव आयोग नें कुछ नामी फर्जी यूट्यूबर पत्रकारों के भी चेहरे से नकाब उतार दिया है। ऐसे फर्जी यूट्यूबर माईक लेकर बस लोगो को बरगला रहें।

उधर बिहार में चुनाव आयोग फ्रंट फूट पर बैटिंग कर रहा। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें लिखा है कि उसने हर मतदाता को दो अनुमूलेशन फॉर्म दिए हैं। चुनाव आयोग बड़ी बेबाकी से यह बात कही है कि कितने फॉर्म बिना दस्तावेज के उसने प्राप्त किए हैं जबकि फर्जी नेताओं का कहना है कि इसकी एक बहुत बड़ी संख्या है जो वहां के बीएलओ ने बिना मतदाता के हस्ताक्षर कराए, फर्जी हस्ताक्षर कर कर,बिना किसी दस्तावेज के पुरानी वोटिंग लिस्ट से उसके मतदाता एपिक नंबर नोट कर कर अपलोड किए हैं। सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए की चुनाव आयोग ने रिवीजन का काम शिद्दत से पूरा नहीं किया है इसके विरोध में लोगो को सड़क पर उतारने वालों की कलई खुल रही लेकिन सच्चाई यह है मेहनत से मतदाता सूची पूनरीक्षण कार्य पूरा किया गया है इसे न सिर्फ पूरा बिहार जानता है बल्कि सारा देश भी जानने लगा है। कुछ नरेटीवस की भी बात की जाए तो बिहार में डुप्लीकेट आधार कार्ड का जिक्र जरूरी है। सीमांत जिलों में 70% आधार कार्ड फर्जी जारी हो गए हैं और इस तरह रोहिंग्या नेपालियों और बांग्लादेशों के लिए भी बिहार में वोटिंग के अवसर तलाशें जा रहे जिसका जवाब अब जब चुनाव आयोग दें रहा तो डब्बेबाज नेता छटपटा रहें। बिहार नें मतदान से पूर्व जो धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा वह बेहद घटिया है। अपनी संभावित हार को अभी से स्वीकार कर चुके विपक्ष का रोना संसद के बाहर सुनाई दें रहा। इस बार फिर बोलते हुए राहुल गांधी नें देश की सत्ता पर चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव चोरी करने का आरोप लगाया है जबकि चुनावी प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी हो गई है। वहां कांग्रेस का नेरेटिव काम नहीं करता और ना वहां आंकड़े और संविधान की दुहाई देते है जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल और कर्नाटक जैसे प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां यह खेल एक्सपोज हुआ है कि जीते तो सब ठीक और जहाँ हारे वहां चुनाव आयोग और मशीन दोषी ! वह तो जनता का मत ही इतनी बड़ी संख्या में भाजपा को परिवर्तित हुआ कि कांग्रेस सदमे में है और इसका ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने के मनसूबे पूरे नहीं हो पा रहें। विपक्षी नेताओं की छटपटाहट और आंकड़ों की बाजीगरी का यह खेल एक बार फिर से यह साबित कर रहा है बिहार में फर्जी वोट करवाने की कोशिश जारी है ! उधर तेजस्वी नें कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (रक्फ़) विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि चुनाव बहिष्कार की बात भी होने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद पर कहा कि हमारे पास बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला है। एक बात स्पष्ट है कि सबकुछ तय हो गया है कि बेईमानी करनी ही है, वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम काटना है...तो हम चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं...हम सभी दल के लोगों से बात करेंगे।

पंकज सीबी मिश्रा जौनपुर

व्यक्ति निजी जीवन में लगातार एकाकी होता जा रहा है

विजय गर्ग

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वह रिपोर्ट चौंकाती है कि दुनिया में हर छठा इंसान अकेला है। दुनिया के करोड़ों लोग टूटे रिश्तों व संवाद से विलग होकर नितांत खामोशी का जीवन जी रहे हैं। सही मायनों में इंसान के भीतर की ये खामोशी लाखों जिंदगियां लील रही है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। निश्चय ही जीवन की जटिलताएं बढ़ी हैं। कई तरह की चुनौतियां सामने हैं। पीढ़ियों के बीच का अंतराल विज्ञान व तकनीक के विस्तार के साथ तेज हुआ है। सोच के भौतिकवादी होने से हमारी आकांक्षाओं का आसमान ऊंचा हुआ है। लेकिन यथार्थ से साम्य न बैठा पाने से हताशा व अवसाद का विस्तार हो रहा है। जिसके चलते निराशा हमें एकाकीपन की ओर धकेल देती है। कहने को तो सोशल मीडिया का क्रांतिकारी ढंग से विस्तार हो रहा है। लेकिन इसकी हकीकत आभासी है। हो सकता है किसी व्यक्ति के हजारों मित्र सोशल मीडिया मंचों पर हों, लेकिन यथार्थ के जीवन में व्यक्ति बिल्कुल एक-ाकी होता है। आभासी मित्रों का कृत्रिम संवाद हमारी जिंदगी के सवालों का समाधान नहीं दे सकता। निश्चित रूप से कृत्रिम रिश्ते हमारे वास्तविक रिश्तों के ताने-बाने को मजबूत नहीं कर सकते। दरअसल, लोगों में यह आम धारणा बलवती हुई है कि जिसके पास पैसा है तो वह सबकुछ कर सकता है। जिसके चलते उसने आस-पड़ोस से लेकर कार्यस्थल पर सीमित पहुंच बनायी है। यही वजह है कि हमारे इर्द-गिर्द की भीड़ और ऑनलाइन जिंदगी के हजारों मित्रों के बावजूद व्यक्ति एकांत में जीने के लिये अभिशप्त है। सही बात ये है कि लोग किसी के कष्ट और मन की पीड़ा के प्रति संवेदनशील व्यवहार नहीं करते। हर तरफ कृत्रिमताओं का बोलबाला है। हमारे मिलने-जुलने वाले त्योहार भी अब दिखावे व कृत्रिम सौगातों की भेंट चढ़ गए हैं। हमें उन कारकों पर मंथन करना होगा, जिनके चलते व्यक्ति निजी जीवन में लगातार एकाकी होता जा रहा है।

विडंबना यह है कि कृत्रिमताओं के चलते कहीं न कहीं हमारे शब्दों की प्रभावशीलता में भी कमी आई है। कालांतर व्यक्ति लगातार एकाकी जीवन की ओर उन्मुख होना लगा है। हमारे संयुक्त परिवारों का बदलता स्वरूप भी इसके मूल में है। पहले घर के बड़े बुजुर्ग किसी झटके या दबाव को सहजता से झेल जाते थे। सब मिल-जुलकर आर्थिक व सामाजिक संकटों का मुकाबला कर लेते थे। शहरों की महंगी जिंदगी और कामकाजी परिस्थितियों का लगातार जटिल होना संकट को गहरा बना रहा है। उन परिवारों में यह स्थिति और जटिल है, जहां पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं और बच्चे हॉस्टलों व बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं। धीरे-धीरे यह एकाकीपन अवसाद तक पहुंचता है। जो कालांतर एक ऐसे मनोरोग का रूप ले लेता है, जिसका उपचार कराने में भी पीड़ित व्यक्ति संकोच करने लगता है। इस स्थिति से व्यक्ति की वापसी सहज भी नहीं होती। जब हम डब्ल्यूएचओ के आंकड़े की बात करते हैं कि दुनिया में हर छठा व्यक्ति अकेलेपन की गिरफ्त में है तो उस कुल संख्या का अनुमान लगाना कठिन नहीं है, जो वास्तव में इससे पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वह आंकड़ा चौंकाता है कि अकेलापन हर साल तकरीबन आठ लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त कर रहा है। जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति न केवल समाज व अपने कार्यालयी परिवेश से अलग-थलग हुआ है, बल्कि वह परिवार से भी कटा है। पिछले दिनों देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने कार्यालयों में काम के घंटे बढ़ाने का आग्रह किया था। एक उद्यमी ने तो यहां तक कहा कि क्या जरूरी है कि घर में रहकर पत्नी का ही चेहरा देखा जाए। यह एक संवेदनहीन प्रतिक्रिया थी। पहले ही कार्य परिस्थितियों के दबाव से युवा पीढ़ी में कई तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। नई पीढ़ी मन में आक्रोश, आकांक्षाएं पूरी न होने की कसक व अरुचिकर परिस्थितियों के चलते पहले ही घुटन महसूस कर रही है। उस पर कार्य परिस्थितियों की जटिलता से उपजी कुंठा उन्हें एकाकी जीवन की ओर धकेल सकती है। ऐसे में सामाजिक जुड़ाव, संवाद व संवेदनशीलता ही एकाकीपन दूर करेगी।

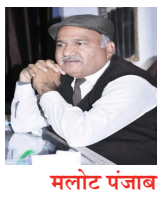

मलोट पंजाब

आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस किस-किस की पैरवी करेगी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुरूआती चार्जशीट दायर करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वाड्रा को जानबूझ कर परेशान करने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि राहुल के इस आरोप के चंद दिनों बाद ही ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भूपेश बघेल के आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी की और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। यह घोटाला 2019-2022 के दौरान लगभग 2161 करोड़ रुपए की अवैध वसूली से जुड़ा है। सवाल यह है कि राहुल, सोनिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे आखिरकार किस-किस कांग्रेस के नेता के भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को दुर्भावना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुरूआती चार्जशीट दायर की। इस मामले में ईडी की तरफ से 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले पर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से इस सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है। यह आरोपपत्र है, उसी षडयंत्र का ही एक और हिस्सा हैं। रॉबर्ड वाड्रा के खिलाफ ये चार्जशीट शिखोपुर लैंड डील मामले में पेश की गई है। ईडी के मुताबिक वाड्रा ने यहां 3.53 एकड़ महज 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिसे कुछ ही समय बाद वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये में बेच दिया था। अपने जीजाजी की पैरवी करने से पहले राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि सोनिया गांधी और खुद उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ था।

ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 हैं। आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। राहुल गांधी को वाड्रा के मामले में साजिश नजर आती है। लेकिन दूसरे घोटालों के मामलों में कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों में की चुप्पी साबित करती है कि कांग्रेस अपने अतीत को दोहरा रही है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं हैं, लेकिन जिन गिने-चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से भ्रष्टाचार की सूचनाएं आती रहती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलार-चिक्काबल्लापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (कोमूल) की 2023 भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में कर्नाटक कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा की 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नानजेगौड़ा, कोमुल के अध्यक्ष भी हैं। ईडी के अनुसार कोमुल द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल था, लेकिन पैसे और राजनीतिक सिफारिशों के बदले में इसमें हेरफेर किया गया था। संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि नांजेगौड़ा की अध्यक्षता वाली भर्ती समिति ने कोमूल के प्रबंध निदेशक के.एन. गोपाल मूर्ति के साथ मिलकर अन्य निदेशकों के साथ मिलकर कुछ कम योग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया, जबकि योग्य उम्मीदवारों को वंचित रखा। कांग्रेस की हालत यह हो गई कि वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और पूर्व अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में रहे हैं। कर्नाटक में खडगे के बेटे राहुल खडगे के नेतृत्व वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को आवंटिक एक जमीन में हेरफेर का आरोप लगाया गया था। कर्नाटक में यदि भाजपा की सरकार होती तो खडगे के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो जाता। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने संदिग्ध परिस्थितियों में खडगे के परिवार द्वारा संचालित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन आवंटित थी। दिलचस्प बात यह है कि 5 एकड़ जमीन (खडगे परिवार द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट को) इलाके में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए नियम तैयार करने के कुछ दिनों भीतर दी गई थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद खडगे बैकफुट पर आ गए थे। खडगे परिवार के स्वामित्व वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने विवादास्पद स्थल को वापस करके भ्रष्टाचार से मुक्त होने का प्रयास किया। कांग्रेस जिन भी राज्यों में सत्ता में रही है, उनमें से ऐसा एक भी राज्य नहीं जिनमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार-घोटालों के आरोप नहीं लगे हों। भ्रष्टाचार के मामलों को देखें तो दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के बड़े कांग्रेस नेता सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसी एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार करती है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी की मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।

सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार खडगे सहित अन्य नेता भाजपा पर दुर्भावना से कार्रवाई का आरोप लगाते रहे हैं, किन्तु अदालतों में चल रहे इनके खिलाफ मामलों में यह दुर्भावना अभी तक साबित नहीं कर सके। चर्चित घोटालों और घपलों में अदालतों से किसी को क्लीन चिट नहीं मिल सकी। सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस का दामन इतना ही पाक साफ है तो ईडी और अन्य एजेंसियों के आरोपों को अदालतों से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकी। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि नेताओं को विशेष इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। नेताओं के भी आम नागरिकों जैसे अधिकार हैं। अगर सामान्य गाइडलाइन जारी की तो ये खतरनाक प्रस्ताव होगा। नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन नहीं हो सकती। इस टिप्पणी के बाद यह याचिका वापस ले ली गई। निरन्तर भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रही कांग्रेस और विपक्षी दलों को यह बात शायद अभी तक समझ नहीं आई कि जब तक भ्रष्टाचार पर जीरा टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक देश के मतदाताओं से खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल नहीं कर पाएंगे।

हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा

हिंदी है दिल की धड़कन,
हिंदी है प्राण हमारा,
हिंदी से ही जुड़ा हुआ,
भारत देश प्यारा।
नदियों सी बहती हिंदी,
सागर सी गहराई,
संस्कृति की पालकी बनकर, सबको रही लुभाई।
वेदों की वह वाणी है, संतों की यह बोली,
मीरा, तुलसी, कबीर की, इसमें बसी ठिठोली।
गांधी के स्वप्नों की भाषा, अटल का अभिमान,
हिंदी से ही खिल उठता है, मेरा हिंदुस्तान।
दफ्तर की दीवारों पर अब, हिंदी मुस्काए,
कागज-कलम से लेकर कंप्यूटर तक जाए।
राजभाषा का गौरव पाकर, करे नया आगाज,
हर पखवाड़े में हिंदी बोले, सारा हिन्द समाज।
कभी मत समझो कमजोर इसे,
यह जन-जन की आवाज,
हर दिल में है बसी हुई,
इसकी गूँजे राज।
अंग्रेजी से बैर नहीं,
बस अपनी पहचान रहे,
दुनिया जाने भारत को,
हिंदी की पहचान कहे।
बच्चों को पढ़ाओ इसे, खुद भी इसका मान करो,
जिस मिट्टी में जन्मे हो तुम, उसका सम्मान करो।
कलम उठे जब भाव लिखो, हिंदी में मुस्कान हो,
शब्दों में हो आत्मा ऐसी, जो भारत की जान हो।

डा. सत्यवान सौरभ

जब गुनहगार छूटते हैं और पीड़ित रह जाते हैं

मुंबई में वर्ष 2006 में हुए लोकल ट्रेन धमाके देश के इतिहास की सबसे भयानक आतंकी घटनाओं में से एक थे। सात जगहों पर ट्रेनों में बम विस्फोट कर के 189 लोगों की जान ली गई और लगभग 800 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला केवल मानव शरीरों पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया था। पूरा देश सन्न रह गया था। भय, आक्रोश और असहायता के बीच एकमात्र आशा थी झ न्याय की। परंतु जब लगभग 19 वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, तब एक बार फिर यह प्रश्न गूंजने लगा कि क्या हमारे देश में पीड़ितों को कभी न्याय मिल भी पाता है?

यह निर्णय केवल एक अदालती प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला था जिसमें जांच एजेंसियों की निष्क्रियता, अभियोजन की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।

इस मामले में आरोपियों को सजा न मिल पाने का दोष न्यायालय पर मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदार वे अधिकारी हैं जिन्होंने इस गंभीर आतंकी हमले की जांच को हल्केपन और जल्दबाजी से अंजाम दिया। कई आरोपियों के कबूलनामे जबरन करवाए गए, जो कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं हैं। विस्फोट स्थलों से फॉरेंसिक साक्ष्य समय पर एकत्रित नहीं किए गए। गवाहों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। चार्जशीट्स में विरोधाभासी बातें सामने आईं और अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका।

इन सबका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो सालों से दोषियों को सजा दिलाने की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगी। क्या इस देश में किसी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीड़ित परिवारों की आंखों के आँसू, उनकी टूटती उम्मीदें और उनके जीवन की असुरक्षा हमारी व्यवस्था को झकझोरने के लिए काफी नहीं? यह कोई पहला मामला नहीं है जहां न्याय व्यवस्था ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफलता दिखाई हो। भोपाल गैस त्रासदी, हाशिमपुरा नरसंहार, 1984 सिख दंगे, और निठारी हत्याकांड झ यह सभी उदाहरण हैं जहां या तो दोषी छूट गए या न्याय मिलने में इतनी देर हुई कि उसका कोई अर्थ ही नहीं बचा। यह सबूत हैं कि हमारी न्यायिक प्रणाली में समय, साक्ष्य और सत्य झ तीनों की कमी होती जा रही है। न्याय केवल अदालत में फैसले देने की प्रक्रिया नहीं है, वह समाज के उस विश्वास की रीढ़ है जो शासन और प्रशासन पर टिका होता है। यदि बार-बार अपराधी बच निकलें, यदि आतंकवादी छूट जाएं, और यदि पीड़ित सालों अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते रहें तो वह विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

मुंबई ट्रेन धमाके की जांच जिस प्रकार से की गई, वह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां न केवल तकनीकी रूप से कमजोर हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए अभिशप्त भी हैं। भारत में जांच का ढांचा ब्रिटिशकालीन मानसिकता पर आधारित है, जिसमें अपराधी को पकड़ने से ज्यादा उसे दिखाने पर जोर होता है। और जब मामला आतंकवाद से जुड़ा हो, तो कई बार बेकसूरों को पकड़ कर जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की जाती है। इससे असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और सारा केस अदालत में दम तोड़ देता है।

इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे झ जांच में देरी, सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुकर जाना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय की उम्मीद करें, तो यह केवल छलावा होगा। क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अन्य मामलों में विशेष जांच दल गठित किए हैं, तो फिर इस गंभीर मामले में क्यों नहीं? न्यायिक सक्रियता केवल राजनैतिक मामलों या नागरिक अधिकारों तक ही सीमित क्यों?

वास्तव में न्याय प्रणाली को समयबद्ध, वैज्ञानिक और जवाबदेह बनाने के लिए एक सम्पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अभियोजन विभाग को पुलिस से अलग कर स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन किसी राजनीतिक दबाव या पुलिस की एकतरफा जांच का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरे, गवाह सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। आतंकवाद जैसे मामलों में गवाहों को धमकाना बहुत आम है, जिससे वे अदालत में बयान बदल देते हैं। तीसरे, जांच एजेंसियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि वे डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को प्रभावी रूप से इकट्ठा कर सकें। चौथे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाकर ऐसे मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को 19 साल तक न्याय की प्रतीक्षा न करनी पड़े। और पांचवां, यदि कोई जांच एजेंसी जानबूझकर कमजोर चार्जशीट बनाती है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट प्रकरण पीड़ितों को कब मिलेगा न्याय?

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 11 जुलाई, 2006 को एक के बाद एक, कई बम धमाकों से दहला दिया गया था। आज भी मुंबई के लोग उस दिन को भूल नहीं पा रहे हैं। 11 जुलाई, 2006 को शाम के 6.24 बजे के लगभग जब लोग मुंबई लोकल से अपने घरों को लौट रहे थे तो सात जगहों पर हुए सीरियल बम धमाकों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। जांच में पता लगा कि मुंबई को दहलाने के लिए उच्च क्षमता वाले आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट को प्रेशर कुकरों में भर कर ट्रेन में ले जाया गया था। इन बमों में बकायदा टाइमर लगाए गए थे। मुंबई की अलग-अलग रेल लाइनों में यह धमाके 6.35 तक हुए यानी 11 मिनट तक पूरी मुंबई दहलती रही। इन सीरियल बम धमाकों में 187 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग घायल हुए थे। लेकिन 19 वर्षों बाद, जुलाई के महीने में ही आए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दो जजों की बेंच ने अभियोजन पक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए निचली अदालत से दोषी करार दिए गए सभी 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने फैसले में यह माना कि अभियोजन पक्ष 19 वर्ष पुराने इस मामले में आरोपियों पर लगे आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को फटकार लगाते हुए गवाही से लेकर पहचान परेड की प्रक्रिया तक पर भी सवाल उठा दिए। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान और साक्ष्य आरोपियों को निचली अदालत से मिली सजा को कायम रखने का भरोसा पैदा नहीं करते हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने यह अपराध किया है। यह टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के सितंबर 2015 में दिए गए फैसले (जिसमें 12 लोगों को सीरियल बम धमाके का गुनाहगार माना गया था) को रद्द करते हुए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया। गौरतलब है कि, मकोका की विशेष अदालत ने इन बम धमाकों के मामले में इन 12 आरोपियों में से 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इन आरोपियों में इंजीनियर और कॉल सेंटर के कर्मचारी तक शामिल थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले ने अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) के सिस्टम के साथ ही महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की कार्यप्रणाली पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले 19 वर्षों के दौरान जांच की प्रक्रिया और अदालती सुनवाई के रिकॉर्ड को देखने पर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। वर्ष 2023 में तो सरकार की उदासीनता पर गहरी नाराजगी जताते हुए अदालत ने विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब करने तक की चेतावनी दे दी थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मुंबई की ट्रेनों में 7 बम धमाके, 187 मौतें, 824 घायल, 19 वर्षों की जांच और अदालती सुनवाई के बावजूद गुनाहगार की संख्या शून्य यानी जीरो। अगर महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, ये 12 लोग दोषी थे तो फिर इनके खिलाफ ठोस सबूत हाई कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किए गए और अगर ये 12 लोग वाकई निर्दोष हैं (जैसा कि अदालत ने माना है) तो फिर इन बम धमाकों के असली साजिशकर्ता/गुनाहगार कहां है ? इन सवालों का जवाब महाराष्ट्र की पुलिस, अभियोजन पक्ष और महाराष्ट्र सरकार को देना ही चाहिए। हालांकि अभी भी सरकार के पास बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प मौजूद है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई के साथ ही जांच एजेंसियों और खासतौर पर सरकार को आगे आकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की ठोस पहल करनी ही चाहिए। इसके साथ ही हमें आतंकवादी घटनाओं और बम धमाकों जैसे अपराधों की जांच के लिए एक एसओपी भी बनाने की जरूरत है जिसमें जांच से लेकर अदालतों में सुनवाई तक का फुलप्रूफ सिस्टम होना चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर कोताही की कोई भी गुंजाइश बचे ही ना। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा ?

संतोष कुमार पाठक

जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर भारतीय लोकतंत्र में सत्ता और संवैधानिक दायित्वों के टकराव का एक दिलचस्प उदाहरण बन गया है। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में और फिर उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल राजनीतिक विवादों और विचारधारात्मक टकरावों से भरा रहा।

जनता की याददाश्त कमजोर हो सकती है

जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर भारतीय लोकतंत्र में सत्ता और संवैधानिक दायित्वों के टकराव का एक दिलचस्प उदाहरण बन गया है। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में और फिर उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल राजनीतिक विवादों और विचारधारात्मक टकरावों से भरा रहा। वर्ष 2019 में जब जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तब से ही उनका कार्यकाल ममता बनर्जी सरकार के साथ लगातार टकरावों से भरा रहा। वह विधानसभा की कार्यवाही से लेकर विश्वविद्यालयों के संचालन तक, हर मोर्चे पर राज्य सरकार पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने ममता सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणियां की थीं। यह सब राज्यपाल के संवैधानिक व्यवहार से भिन्न था। धनखड़ राज्यपाल रहते हुए बार-बार पश्चिम बंगाल सरकार पर संवैधानिक उल्लंघन, प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते रहे। ममता बनर्जी ने इस पर पलटवार करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा और यह आरोप लगाया कि वह अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। मगर तब भाजपा और केंद्र सरकार ने हर बार धनखड़ का खुला बचाव किया और ममता बनर्जी की नाराजगी को राजनीतिक दुर्भावना बताया था।

वर्ष 2022 में जब जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बने तो यह भाजपा के लिए एक रणनीतिक जीत मानी गई, क्योंकि पार्टी राज्यसभा में एक सख्त और केंद्र के अनुकूल संचालनकर्ता की उम्मीद कर रही थी। लेकिन कुछ ही समय में यह स्पष्ट होने लगा कि धनखड़ इस भूमिका को केवल एक औपचारिक दायरे तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने राज्यसभा की गरिमा की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कई बार कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हुए भाजपा सदस्यों तक को संयम की सलाह दी। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में कई ऐसे बयान दिये जोकि सरकार की नीतियों के विपरीत लगते थे। संसद में विपक्ष को बोलने का मौका देने की उनकी प्रतिबद्धता ने भी केंद्र सरकार को असहज किया। जगदीप धनखड़ ने समय-समय पर न्यायपालिका को लेकर भी सार्वजनिक रूप से कई तरह की टिप्पणियां कीं। इससे केंद्र सरकार असहज होने लगी। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया था कि उनकी राय प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय से मेल नहीं खा रही थी।

इस सबके चलते वह भाजपा, जो कभी ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करती थी, अब खुद वैसी ही स्थिति में आ गई थी। अब धनखड़ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं , संविधान का मनमाना अर्थ निकाल रहे हैं, जैसे पुराने आरोप नए संदर्भ में भाजपा की तरफ से सुनाई देने लगे थे। पार्टी के अंदरूनी हलकों से पहले भी इस तरह की खबरें आई थीं कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। अंततः इस असहमति की परिणति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के रूप में हुई, जो यह दिखाता है कि संवैधानिक स्वतंत्रता तब तक ही सहनीय है, जब तक वह सत्ता के हितों के विरुद्ध न जाए।

देखा जाये तो जगदीप धनखड़ के दो कार्यकाल- एक बार राज्यपाल के रूप में ममता बनर्जी को असहज करना और फिर उपराष्ट्रपति के रूप में केंद्र सरकार को चुनौती देना, दिखाता है कि सत्ता कभी भी किसी संवैधानिक पदाधिकारी की ह्यनिष्पक्षताह्न को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाती। यह मामला भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक मर्यादाओं, संस्थागत स्वायत्तता और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच के जटिल रिश्तों को भी उजागर करता है। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर इसका सबसे सटीक उदाहरण है। दूसरी ओर विपक्ष का दोहरापन भी देखने लायक है। हम आपको याद दिला दें कि विपक्षी दलों ने 10 दिसंबर को राज्यसभा सचिवालय में प्रस्तुत किए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में जगदीप धनखड़ पर तमाम आरोप लगाये थे। यही नहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि धनखड़ उन्हें सदन में बोलने नहीं देते। वहीं जयराम रमेश ने कहा था कि धनखड़ एक निष्पक्ष अंपायर की तरह नहीं बल्कि सरकार के चीयरलीडर की तरह व्यवहार करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने तो संसद परिसर में ही जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी और सारे विपक्षी सांसद वह सब देखकर ठहाके लगा रहे थे। यही नहीं, कल्याण बनर्जी की ओर से की जा रही मिमिक्री का राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। लेकिन हैरानी की बात है कि वही सब विपक्षी नेता आज धनखड़ के प्रति अपने रुख में अचानक बदलाव लाते हुए उन्हें किसान पुत्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है। विपक्ष के नेताओं को समझना होगा कि जनता की याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो इतनी जल्दी भूल जाए कि विपक्षी दल धनखड़ के इस्तीफे से पहले तक उनके बारे में क्या-क्या कह रहे थे।

घूँघट की बगावत

27 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

6

बिहार विधानसभा चुनावों पर कितना असर डालेगा एसआईआर?

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव यूं तो अक्टूबर अथवा नवंबर में होने हैं, लेकिन इसके पहले राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जमकर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष इसे चुनाव आयोग के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा का 'खेला' मान रहा है, जो भाजपा और एनडीए का कहना है कि यह एक 'सामान्य प्रक्रिया' है। जबकि, चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर 'मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया' है क्योंकि राज्य में 2003 के बाद से मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन इस एसआईआर से शंकित राजद नेता और विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे मोदी सरकार दवारा बिहार में 'वोटबंदी' की संज्ञा दी है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी ह्यवोटों की चोरी की साजिश करार दे रहे हैं। एआईएमआईम ने तो एसआईआर को 'बैक डोर से एनआरसी की वापसी' बता दिया है। विपक्ष का सवाल है कि वोटर लिस्ट का 'शुद्धिकरण' अभी ही क्यों?

यह काम चुनाव बाद भी किया जा सकता है। विपक्ष को आशंका है कि एसआईआर के बहाने उसके समर्थक वोटों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है, जिनमें बड़ी संख्या मुसलमानों और दलितों की हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि एसआईआर से राज्य में सभी की नागरिकता की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई है। इस बीच चुनाव आयोग अपना काम किए जा रहा है। उसका दावा है कि राज्य में एसआईआर के 95 फीसदी फार्म जमा हो चुके हैं। राज्य में 43.92 लाख मतदाता या उनके पतों पर नहीं मिले या फिर उनके दस्तावेज अधूरे थे। आयोग ने इन वोटरों को चार अलग-अलग श्रेणी में रखा है। इनकी सूची 12 राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई है। 11 हजार 484 वोटर ऐसे भी हैं, जिनका कहीं कोई पता नहीं चला। जिन्हें आयोग संदिग्ध मान रहा है, उन वोटरों की संख्या राज्य के कुल वोटरों का लगभग 5 फीसदी है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हालांकि इनके नाम सूची से बीएलओ द्वारा फिर से जांच के बाद ही हटेंगे। उधर एसआईआर से परेशान ने विपक्ष ने जहां इसके खिलाफ सड़कों पर लड़ाई शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि इस मुद्दे पर उसे खास राहत नहीं मिली। सर्वोच्च अदालत ने एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को उसका काम करने नहीं रोकेगा।

हालांकि, कोर्ट ने न्याय हित में सुझाव दिया कि आयोग मतदाता की पुष्टि के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने पर भी विचार करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थीं। इनमें एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज के अलावा आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की भी याचिका थी। इसके पूर्व 11 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला था, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच मतदाताओं द्वारा एसआईआर फॉर्म जमा करने के मामले में धांधलियों की शिकायतें भी आईं। और ऐसा एक मामला उजागर करने पर एक पत्रकार के खिलाफ मामला भी कराया गया। उधर राजनीतिक हंगामे के बाद भी चुनाव आयोग अपना काम किए जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम पाए गए, जिन्हें 1 अगस्त के बाद नागरिकता जांच के बाद हटाया जाएगा।

दूसरी तरफ विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि इस मुद्दे को किसी तरह विधानसभा चुनाव तक खींचा जाए। संभव है कि यदि एसआईआर में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे तो यह जनाक्रोश का कारण बन सकता है, हालांकि कितना बनेगा, यह अभी कहना कठिन है। मतदाता सूची अद्यतन हो, उसमे से अपात्रों के नाम हटें, इस पर किसी को शायद ही आपत्ति हो। लेकिन नाम जुड़वाने के लिए आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है और इसके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की

गई है, उस पर बहुतों को आपत्ति है। कहा जा रहा है कि जो डाक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो कई लोगों के पास नहीं है। हालांकि, चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को अलग श्रेणी में रखकर उनका समाधान करने की बात कही है, लेकिन लोगों को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है।

यही कारण है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि एसआईआर ह्न के कड़े दस्तावेजीकरण नियम (जैसे 2003 की मतदाता सूची या माता-पिता के जन्म प्रमाण) के चलते गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इस अभियान के शुरू होते ही तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा था, लोकतंत्र की जननी बिहार में मतदाता अधिकारों का चीरहरण हो रहा है। फर्जी फॉर्म और असंवैधानिक कार्यप्रणाली लोकतंत्र के लिए घातक है।

इस मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पटना रैली में सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का 'चुनाव चोरी' विंग बन गया है? विपक्ष का दावा है कि बिहार के 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण और गरीब आबादी के लिए आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेजों को जुटाना मुश्किल है, जिससे उनका वोटिंग अधिकार छिन सकता है। उधर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईआर को 'लोकतंत्र पर हमला' बताते हुए कहा था कि यह प्रक्रिया बीजेपी के इशारे पर शुरू की गई ताकि गरीब और प्रवासी मतदाताओं को वोट से वंचित किया जाए। इसका कारण यह भी है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी लागू होने वाला है, जहां टीएमसी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना था कि वह किसी की धारणाओं का जवाब नहीं दे सकता। वह अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। यह आशंका गलत है कि उसका उद्देश्य बड़ी संख्या में मतदाताओं को लिस्ट से बाहर करने का है। आयोग के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने और उसमें सुधार का जिम्मा देता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट,1950 की धारा 21(3) उसे मतदाता लिस्ट में सुधार के लिए विशेष सघन अभियान चलाने की शक्ति देती है। इस प्रक्रिया से जुड़े नियम बनाने का अधिकार भी कानून आयोग को देता है।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वह मोबाइल फोन के जरिए मैसेज भेजने के अलावा घर-घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क कर रहा है। अगर किसी का नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आ पाया, तब भी उसे पूरा मौका दिया जाएगा। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि बिहार के बाद दूसरे राज्यों में भी इस तरह का अभियान चलेगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। दरअसल, चुनाव आयोग हर बड़े चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करता है ताकि फर्जी वोटरों के नाम हटाए जा सकें और नए, योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। बिहार में इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 7.89 करोड़ मतदाताओं की सूची की गहन जांच हो रही है। इसके लिए हर वोटर से पहचान और पते के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के जन्म से जुड़े कागजात, या 1987 से पहले के राशन कार्ड और जमीन के दस्तावेज। जबकि विपक्ष का तर्क है कि चूंकि बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। इतने कम वक्त में 8 करोड़ लोगों के दस्तावेज जमा करवाना और उनकी जांच करना मुश्किल लगता है। ये पूरी प्रक्रिया बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए है। विरोधी पार्टियों को डर है कि इस प्रक्रिया से राज्य में 2 से 4 करोड़ वोटरों के नाम हट सकते हैं, खासकर दलित, ओबीसी, और अल्पसंख्यक समुदायों के।

एनडीए नेता इस प्रक्रिया को सही ठहरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि फर्जी वोटरों को हटाने से डर केवल 'गलत' लोगों को है। उनका दावा है कि कुछ इलाकों में 25-30 हजार फर्जी वोटर हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को साफ-सुथरी मतदाता सूची से परेशानी है, क्योंकि उनके 'फर्जी वोटर' हट जाएंगे। बहरहाल, इस घमासान का पार्ट टू तब शुरू होगा, जब पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी होगी। अगर इसमें बड़ी संख्या में किसी खास वर्ग या समुदाय के नाम कटे तो नया राजनीतिक घमासान शुरू होगा। उस स्थिति में राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए और खासकर भाजपा को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो विपक्षी का एसआईआर वार खाली जाएगा। विपक्ष के इस वार को बेअसर करने के लिए एनडीए और नीतीश सरकार ने रेवड़ी कल्चर का दांव खेलना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा दांव तो प्रदेश में अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां व रोजगार देने का है।

बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या साढ़ चार लाख बताई जाती है। राज्य में 4 लाख 72 हजार 976 पद खाली बताए जाते हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। यानी सभी पद भर चुके हैं। ऐसे में नए लोगों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, यह सोचने की बात है। इसके अलावा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। साथ ही कुटीर योजना के तहत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र सरकार अपने खर्च पर लगाएगी। सरकार ने वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है। सरकार और सत्तारूढ़ दल का मानना है कि विपक्ष द्वारा राज्य में सुशासन और वोटबंदी के आरोप पर ये रेवड़ियां भारी पड़ेंगी। कितनी पड़ेंगीं, मतदाता किस बात को तवज्जो देगा, यह अभी कहना मुश्किल है। विपक्ष राज्य में सत्ता परिवर्तन के अंडरकरंट की बात कर रहा है। लेकिन नीतीश फैक्टर का तोड़ उसके पास भी नहीं है। वैसे भी बिहार की राजनीति में जाति सर्वोपरि है। बाकी सब बाद में है। जाति का गणित में बिहार में इस बार नया जोड़ बाकी होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। अलबत्ता यह जरूर हुआ है कि राज्य में विपक्ष बाकी जमीनी मुद्दों को दरकिनार कर एसआईआर पर सत्तापक्ष और नीतीश कुमार को घेरने में जुटा है।

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला, जवाबदेही शीर्ष स्तर से तय होनी चाहिए

हमारे टीवी चैनलों ने इंदौर के सोनम और राज रघुवंशी दंपति की हनीमून गाथा से विराम ले लिया है। अब वे अधिक महत्वपूर्ण विषयों और जनहित की वास्तविक समस्याओं को दिखा रहे हैं जो उनका मुख्य काम होना चाहिए। गुजरात में वडोदरा के निकट एक पुल का ढह जाना, लगभग सभी राज्यों में जलमग्न शहरी सड़कें, राजमार्गों और अंतर-शहरी सड़कों की खराब स्थिति और ह्यसोने पर सुहागाह्न भोपाल का 90 डिग्री ह्यइंजीनियरिंग चमत्कारह्न - इन सब पर राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर पूरी गंभीरता से अब चर्चा हो रही है।

भोपाल, इंदौर, पुणे, गुरुग्राम, बेंगलुरु या कानपुर- हर शहर लाखों लोग रोजाना इन्हीं समस्याओं से जूझते हैं, पर सरकार में क्या किसी को परवाह है? एक-दो बारिश में ही सड़कें बदहाल क्यों हो जाती हैं; गुजरात, बिहार या मध्य प्रदेश में पुल कभी भी कैसे ढह सकते हैं? लेकिन इन सवालों पर हमें अब गुस्सा नहीं आता। 'मतदाता' पूरी तरह से शायद बेबस हैं। उनका काम सिर्फ मतदान करना है और विभिन्न कर चुकाते रहना है।

ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन्हें पत्रकार पहली बार उठा रहा है या जिनका सामना भारतीय मतदाता पहली बार कर रहे हैं। यह बेहद निराशाजनक दस्तूर है कि मानसून आते ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं और नागरिक अंतहीन कष्ट झेलते रहते हैं। कई जानें असमय चली जाती हैं, लेकिन सत्ताधारी बेशर्मी से बेफिक्र बने रहते हैं। शायद वे चुनाव जीतने-जिताने में अधिक व्यस्त रहते हैं। जनता की सेवा के नाम पर सरकार के बुनियादी ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व ध्यान के कारण, गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आ रही है। डिजाइन, सामग्री की गुणवत्ता, निर्माण तकनीक और हर स्तर पर ईमानदार निगरानी लगभग पूरी तरह से नदारद है, जिससे निर्माण एजेंसियों की बल्ले-बल्ले है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने मुझे बताया है कि आधिकारिक एजेंसियों द्वारा डिजाइन परामर्श आदि के लिए उन्हें अक्सर बुलाया जाता है, लेकिन जब कार्यान्वयन की बात आती है तो सरकारी इंजीनियरिंग विभाग उन विशेषज्ञों की सलाह को दरकिनार कर देते हैं। परियोजनाओं के लिए सिर्फ निविदाएं जारी करने में ही जब अधिकारियों की हथेली भरपूर गरम हो जाती है फिर गुणवत्ता की ओर वे क्यों समय बर्बाद करें?

इन एजेंसियों, ठेकेदारों, इंजीनियरों को वास्तव में राष्ट्र-विरोधी या शहरी नक्सली करार दिया जाना चाहिए, न कि उन अन्य लोगों को जिन्हें भाजपा यह नाम देना पसंद करती है। मेरा मानना है कि दोषपूर्ण ढांचों के निर्माण में करदाताओं के भारी सार्वजनिक धन की बबार्दी और मानव जीवन की हानि को देशद्रोह माना जाना चाहिए।

जब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रसिद्ध 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज का भोपाल में निर्माण किया गया था,एक साक्षात्कार के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने के बाद सरकार ने आठ इंजीनियरों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन क्या यह सजा काफी है?

पुल बनाने वालों और सड़क ठेकेदारों का भी यही हाल है। जयपुर में सड़क के बीचों-बीच एक बड़ा गड्ढा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क किसने बनाई, अनुबंध की शर्तें क्या थीं? क्या निविदा में सामग्री की कुछ खास विशेषताओं के साथ चिकनी, टिकाऊ सड़क का जिक्र नहीं था? दुर्भाग्य से, लोग (मतदाता) सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की मांग न करके इसे हल्के में ले रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के कई पुल सौ साल बाद भी आज कैसे शान से खड़े हैं? इसी तरह, ज्यादातर शहर बाढ़ की सालाना चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई भी 'स्मार्ट सिटी' इसका सरल समाधान नहीं दे पाई। क्या ऐसी 'सेवाएं' पाने पर लोगों को टैक्स का भुगतान करते रहना चाहिए? चूंकि बड़े पैमाने पर खुले इलाकों को कांक्रीट से भराव करने से अलग-अलग पेशे के लोगों को भारी पैसा मिलता है, इसलिए शहरों में पानी को जमीन में समाने के लिए खुली जगह ही नहीं बच रही है। मुंबई जैसे शहर का लगभग 90 फीसदी हिस्सा पक्का हो चुका है। सड़कों के किनारे कोई नालियां नहीं हैं। अगर नालियां हैं भी, तो वे प्लास्टिक कचरे से अटी पड़ी हैं, पानी जाने की कोई जगह नहीं है। पिछले साल दिल्ली में भारी बारिश ने कई घरों में तबाही लाई। एक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जो अब सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, ने मुझे अपने दशकों पुराने कानूनी कागजात और महत्वपूर्ण किताबें वगैरह दिखाईं, जो एक ही रात में लुगदी बन गईं; राष्ट्रीय राजधानी की एक बढ़िया कॉलोनी में उनके घर में और आसपास के इलाकों में खूब पानी भर गया था।

निर्माण की संदिग्ध गुणवत्ता ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में 'सेंट्रल विस्टा' की नई इमारतों को भी नहीं बख्शा। पिछले मानसून में ही उनमें से पानी टपकने लगा था। पर क्या किसी पर कार्रवाई की गई? उसके निर्माणकर्ता काफी वजनदार होने के कारण शायद बच गए। मुद्दा शासन-प्रशासन का है। भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' का दावा करने वाली सरकारें जानबूझकर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर से आंखें मूंद लेती हैं। कारण सबको पता है- दिल्ली में भी।

भारत में शहरी नियोजन की स्थिति तो बहुत ही चिंतनीय है। शहरी बाढ़, पुलों के गिरने और सड़कों की खराब गुणवत्ता जैसी बुनियादी समस्याओं को रोकने के लिए सरकार को अधिकारियों, ठेकेदारों, डिजाइनरों और इंजीनियरों के बीच स्पष्ट दिखने वाली सांठगांठ पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तभी शहर बेहतर होंगे।

अब समय है कि मतदाताओं को गुणवत्ता और कड़े पर्यवेक्षण की मांग करनी चाहिए, साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को कड़ी सजा भी देनी चाहिए। जवाबदेही शीर्ष स्तर से तय होनी चाहिए और शहरों में बार-बार आने वाली बाढ़ या पुलों की घटिया गुणवत्ता को रोकने के मानकों पर इसे तय होते हुए देखा जाना चाहिए। स्वर्ण काल में क्या यह असंभव है।

विद्यालयों पर लटक रहे हाईटेंशन तार..

छात्र-छात्राएं खतरे के साए में आते हैं विद्यालय

महराजगंज। जिले के 182 परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रहे हैं। इससे हर समय खतरा बना रहता है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 18 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं रोजाना उस अनदेखे खतरे के साए में स्कूल पहुंचते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस समस्या को लेकर चार माह पहले बिजली विभाग को पत्र भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के अनुसार, कंपोजिट विद्यालय मोहद्दीनपुर में 315 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इस विद्यालय के मुख्य गेट के ठीक बगल में एक ट्रांसफॉर्मर लगा है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्कूल आने-जाने के दौरान बच्चों को इस ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरना पड़ता है, जिससे किसी भी समय अप्रिय घटना घटने का खतरा बना रहता है। प्रधानाध्यापक कुशुम गुप्ता के अनुसार, इस समस्या को लेकर विद्युत विभाग, बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हर दिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरा खुर्द में करीब 77 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इस विद्यालय के परिसर के ठीक ऊपर से हाईटेंशन तार गुजर रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों में लगातार यह डर बना रहता है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए।

▶ तनुश्री दत्ता भावुक पोस्ट के माध्यम से लगाया आरोप

पुलिस ने दी उचित शिकायत दर्ज करने की सलाह

नई दिल्ली। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट कर आरोप लगाया है कि उन्हें सात साल से उनके घर में परेशान किया जा रहा है। अभिनेत्री ने इसी के साथ गुहार लगाई कि इससे पहले कि बहुत देर हो उनकी मदद की जाए। तनुश्री ने ही सबसे पहले अभिनेता नाना पाटेकर के खिलाफ शिकायत की थी जिससे सोशल मीडिया पर हैशटैग मीटू आंदोलन की शुरूआत की थी। अभिनेत्री ने मंगलवार रात इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट में कहा कि उन्हें इतना परेशान किया गया है कि वह बीमार पड़ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उत्पीड़न 2018 के हैशटैग मीटू के बाद से चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस को फोन करना पड़ा और पुलिस ने उन्हें उचित शिकायत दर्ज करने के लिए कहा है। अभिनेत्री ने रोते हुये एक वीडियो (जिसकी पुष्टि घूँघट की बगावत हि.सा. नहीं करता है) इंस्टाग्राम पर साझा किया और कैप्शन लिखा, कृपया कोई मेरी मदद करें! इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ करें।

परेशान दिख रही अभिनेत्री ने कहा, दोस्तों, अपने ही घर में मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मुझे अपने ही घर में परेशान किया जा रहा है। मैंने अभी पुलिस को फोन किया और उसने मुझे उचित शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना आने को कहा है- मैं शायद कल या परसों जाऊंगी। तनुश्री ने कहा कि वह अस्वस्थ हैं और काम करने में असमर्थ हैं, उनका घर बिखरा हुआ है और घरेलू सहायिका नहीं रख सकतीं। अभिनेत्री ने वीडियो संदेश में किसी का नाम लिए बिना कहा, मेरा घरेलू सहायिकाओं के साथ बहुत बुरा अनुभव रहा है, जो घर में आती हैं वह चोरी करती हैं, तथा अन्य काम करती हैं। लोग मेरे घर का दरवाजा पीटते हैं। मैं परेशान हो रही हूं, कृपया मेरी मदद करें। अभिनेत्री ने कहा, मैं इमारत के प्रबंधन से शिकायत करते-करते थक गयी और कुछ साल पहले हार मान ली।

अब मैं बस इसी के साथ रहती हूं और अपना ध्यान भटकने से रोकने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हेडफोन से हिंदू मंत्रों को सुनती हूं। अभिनेत्री ने 2018 में अभिनेत्री ने पाटेकर और तीन अन्य पर 2008 में उनके साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। तनुश्री के मुताबिक यह दुर्व्यवहार फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान की गई थी।

महिलाओं का रील-प्रेम

निचलौल, महराजगंज। एनएच 730 निचलौल - ठूठीबारी मार्ग पर तीन महिलाओं का बीच सड़क पर रील बनाने व डांस करने का वीडियो सामने आया है। जिससे कुछ समय के लिए आने जाने में परेशानी हुई। उनके डांस को राहगीरों व ऑटो चालकों ने रिकार्ड कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। नौनियां के पास तीन महिलाएं बीच सड़क पर डांस करने लगी और वहीं रील बनाने लगी।

उसके डांस और कैमरा मूवमेंट के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। ठूठीबारी कोतवाली प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि डांस कर रही महिलाओं के घर पहुंच कर समझाया गया।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com